LOK SABHA DEBATES

(Part I — Proceedings with Questions and Answers)

The House met at Eleven of the Clock

Thursday, August 07, 2025 / Sravana 16, 1947 (Saka)

HON'BLE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri N. K. Premachandran

Shri Jagdambika Pal

Shri P. C. Mohan

Shrimati Sandhya Ray

Shri Dilip Saikia

Kumari Selja

Shri Raja A.

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Krishna Prasad Tenneti

Shri Awadhesh Prasad

LOK SABHA DEBATES

PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Thursday, August 07, 2025 / Sravana 16, 1947 (Saka)

CONTENTS **PAGES**

ORAL ANSWER TO STARRED QUESTION (S.Q. NO. 261)	**1 – 30**
WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 262 – 280)	**31 – 50**
WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS (U.S.Q. NO. 2991 – 3220)	**51 – 280**

Uncorrected – Not for Publication **LSS-D-II**

सत्यमेव जयते

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Thursday, August 7, 2025 / Sravana 16, 1947 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART II – PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Thursday, August 7, 2025 / Sravana 16, 1947 (Saka)

C ON T E N T S **P A G E S**

RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION	**281**
PAPERS LAID ON THE TABLE	**281 - 93**
MESSAGE FROM RAJYA SABHA	**294**
COMMITTEE ON WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES 4th and 5th Reports	**294**
COMMITTEE ON WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES Study Visit Report	**295**
STANDING COMMITTEE ON DEFENCE 11th to 14th Reports	**295**
STANDING COMMITTEE ON DEFENCE Final Action Taken Statements	**296 - 98**
STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS 7th Report	**298**
STANDING COMMITTEE ON HOUSING AND URBAN AFFAIRS Statement	**298**
STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ 16th and 17th Reports	**299**

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 1ST REPORT OF STANDING COMMITTEE ON ENERGY – LAID	**299**
Shri Arjun Ram Meghwal	
STATEMENTS RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 1ST AND 3RD REPORTS OF STANDING COMMITTEE ON WATER RESOURCES – LAID	**300**
Shri V. Somanna	
STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 22ND REPORT OF STANDING COMMITTEE ON WATER RESOURCES – LAID	**300**
Shri V. Somanna	
BILL INTRODUCED	**301**
Manipur Goods and Services Tax (Amendment) Bill	
STATEMENT RE: MANIPUR GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ORDINANCE, 2025 – LAID	**301**
Shrimati Nirmala Sitharaman	
….	**302**
MATTERS UNDER RULE 377 – LAID	**303 - 16**
Shrimati Smita Uday Wagh	**303**
Shri Jugal Kishore	**303**
Dr. Anand Kumar Gond	**304**
Shrimati Manju Sharma	**304**
Shri Anurag Singh Thakur	**305**
Shri Lumbaram Choudhary	**305**
Dr. Vinod Kumar Bind	**306**
Shri Bidyut Baran Mahato	**306**
Shri Janardan Mishra	**307**
Shri Balabhadra Majhi	**307**
Shri Ramvir Singh Bidhuri	**307**

Shri Janardan Singh Sigriwal	308
Shri Rao Rajendra Singh	308
Sushri Praniti Sushilkumar Shinde	309
Sushri S. Jothimani	309
Shri Sukhjinder Singh Randhawa	310
Dr. Prashant Yadaorao Padole	310
Dr. Amar Singh	311
Shri G. Kumar Naik	311
Shri Neeraj Maurya	312
Shri Aditya Yadav	312
Shri Eswarasamy K.	313
Shri Sunil Kumar	313
Shri Sanjay Dina Patil	314
Shrimati Supriya Sule	314
Shri Sandipanrao Asaram Bhumare	315
Shri Abhay Kumar Sinha	315
Shri Hanuman Beniwal	316
…	317
STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF MANIPUR GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ORDINANCE AND MANIPUR GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) BILL	318 - 21
Statutory Resolution – Not moved	318
Motion For Consideration	318
Shrimati Nirmala Sitharaman	319
Motion for Consideration – Adopted	320
Consideration of Clauses	320 - 21
Motion to Pass	321

MANIPUR BUDGET – GENERAL DISCUSSION AND DEMANDS FOR GRANTS – MANIPUR	**322 - 23**
Shrimati Nirmala Sitharaman	**322 – 23**
Demands – Voted	**323**
BILL INTRODUCED	**324 - 25**
Manipur Appropriation (No. 2) Bill	**324**
Motion for consideration - Adopted	**324**
Consideration of clauses	**325**
Motion to Pass	**325**
…	**326**

xxxx

(1100/KDS/SRG)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल, प्रश्न संख्या 261.

श्रीमती माला राय

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती लवली आनंद जी।

… (व्यवधान)

(प्रश्न 261)

श्रीमती लवली आनंद (शिवहर) : अध्यक्ष जी, मेरा माननीय मंत्री महोदय से सप्लीमेंट्री प्रश्न है कि कई स्मार्ट शहरों में डिजिटल सुविधाएं जैसे तमाम सेंटर्स तो बना दिए गए हैं, लेकिन जल भराव, झुग्गी, पुनर्वास और कचरा निस्तारण जैसी बुनियादी समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं।…(व्यवधान)

1101 बजे

(इस समय सुश्री महुआ मोइत्रा, श्री सप्तगिरी शंकर उलाका, डॉ. कलानिधि वीरास्वामी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

इसके साथ ही कई नगर निकायों के पास इतनी तकनीकी और वित्तीय क्षमता नहीं है कि वे बड़े स्तर के सारे विकास प्रोजेक्ट्स को सही तरीके से पूरा कर सकें। … (व्यवधान) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष प्रशिक्षण या स्टाफिंग सहायता दे रही है ताकि स्मार्ट सिटी मिशन में बुनियादी जरूरतों की अनदेखी न हो और नगर निकायों को जमीनी स्तर पर सक्षम बनाया जा सके? … (व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, स्मार्ट सिटी मिशन, जो वर्ष 2015 में शुरू हुआ, इसके अंतर्गत कुल 9 हजार 216 करोड़ रुपये की लागत की 196 पीपीपी परियोजनाएं शुरू की गईं। … (व्यवधान) इसी प्रकार इन सभी योजनाओं को सेलेक्ट करने के लिए कुल मिलाकर ये योजनाएं प्रदेशों पर छोड़ी गई थीं कि वे कौन-कौन से शहर चुनेंगे और कौन-कौन से काम उनकी ओर से चुने जाएंगे। कुल 8 हजार से ऊपर शहर चुने गए थे और उन शहरों में कौन-से प्रोजेक्ट्स चुनने हैं, यह प्रदेशों पर निर्भर होता है। … (व्यवधान) कुल 8 कैटेगरीज के ऐसे प्रोजेक्ट्स को चुना गया था, जिनमें अभी तक कुल मिलाकर 7 हजार 5 सौ प्रोजेक्ट्स पूरे हो गए हैं। 31 जुलाई, 2025 तक 95 प्रतिशत, अर्थात् 7 हजार 336 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिनकी लागत 1 लाख 53 हजार 977 करोड़ रुपये है। … (व्यवधान) लगभग 99 प्रतिशत निर्धारित बजट 100 शहरों को जारी किया जा चुका है। 31 मार्च, 2025 को इस मिशन का वित्तीय समापन हो चुका है। … (व्यवधान) बहुत सारे प्रोजेकट्स ऐसी उपलब्धियों के रूप में अलग-अलग शहरों में एक प्रकार से लागू किए जा चुके हैं। सौ के सौ स्मार्ट शहरों में आई ट्रिपल सी और इसकी स्थापना व शहरी सेवाएं क्रांतिकारी रूप से बेहतर हुई हैं। चाहे अपराध नियंत्रण हो, नागरिकों की सुरक्षा हो, यातायात प्रबंधन हो, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हो, जल आपूर्ति हो या आपदा प्रबंधन हो।… (व्यवधान) इनमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेकर भी बनाए गए हैं। … (व्यवधान) वायब्रेंट पब्लिक

स्पेसेज़ के अंदर भी 84 स्मार्ट शहरों में सार्वजनिक स्थान विकसित किए गए हैं, जिनमें 62 शहरों में 318 किलोमीटर जल पथ का निर्माण शामिल है, जैसे श्रीनगर का झेलम रिवर फ्रंट, शिमोगा का तुंगा रिवर फ्रंट, इंदौर का कान्ह रिवर फ्रंट, नासिक का गोदावरी रिवर फ्रंट, इम्फाल का कांगला रिवर फ्रंट, शिलाँग का उमखराह रिवर फ्रंट, पटना और कानपुर के गंगा रिवर फ्रंट्स आदि। … (व्यवधान) जहां तक जलापूर्ति की बात है, 17 लाख किलोमीटर जल नेटवर्क में स्काडा से निगरानी के समय लीकेज, नुकसान में भारी कमी, मुरादाबाद में 15 प्रतिशत रिडक्शन इन नॉन रेवेन्यू वाटर हो रहा है। … (व्यवधान)

(1105/CS/SM)

इसी प्रकार 10 परसेंट इम्प्रूवमेंट इन वाटर डिस्ट्रिब्यूशन एफिशिएंसी हुई है।… (व्यवधान)

अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 48 शहरों में 9 हजार आरएफआईडी युक्त… (व्यवधान) मार्ग… (व्यवधान) इम्प्रूवमेंट, बूथ मैनेजमेंट एफिशिएंट कलेक्शन।… (व्यवधान) इसी प्रकार से स्ट्रीट लाइटिंग, आवास, स्मार्ट… (व्यवधान) समाधान, शिक्षा।… (व्यवधान)

महोदय, मैं यह बात जोर देकर कहना चाहूँगा कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत सरकार ने भारत के शहरी ताने-बाने को वैश्विक स्तर की उत्कृष्टता, समावेशन, सुरक्षा और स्वतंत्रता की नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया है।… (व्यवधान) ये उपलब्धियाँ सतत प्रयास, उच्चतर नेतृत्व और सबको साथ लेकर चलने की सरकार की प्रतिबद्धता का उदाहरण हैं।… (व्यवधान) जहाँ तक अलग-अलग शहरों की अलग-अलग चीजों की डिमांड है, उस नाते से यह प्रदेशों पर भी निर्भर है कि वे उस बजट का उपयोग कैसे करेंगे।… (व्यवधान) सरकार की योजना में हर शहर को 500 करोड़ रुपये केन्द्रीय सहायता और 500 करोड़ रुपये प्रदेश की ओर, इस तरह से एक हजार करोड़ रुपये के लगभग यह राशि खर्च की गई है।… (व्यवधान) अब इसके आगे, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को एक प्रकार से पुनरावृत्ति करने का काम प्रदेशों को करना है।… (व्यवधान) शहर अच्छे, स्थायी बनें, यह इस प्रकार की योजना है।… (व्यवधान) धन्यवाद।

श्रीमती लवली आनंद (शिवहर) : महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।… (व्यवधान)

माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से बता दिया है।… (व्यवधान) मेरा कहना वही है कि जो काम रुक गया है, उसमें किस तरह से होगा।… (व्यवधान) मंत्री जी ने विस्तार से इस बारे में बता दिया है।… (व्यवधान) बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मनोहर लाल : महोदय, जैसा सांसद महोदया ने कहा है कि मैंने विस्तार से सारी बातें बता दी हैं।… (व्यवधान) फिर भी इनका कोई अतिरिक्त सप्लीमेंटरी प्रश्न स्मार्ट सिटी मिशन के संबंध में होगा तो मैं उसके बारे में सब चीजें बताने के लिए तैयार हूँ।… (व्यवधान) खासकर इन प्रोजेक्ट्स में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप का जो सफल मॉडल है, उसमें सबसे पहले जन महल मल्टीमॉडल वडोदरा है।… (व्यवधान) जिनको हम कह सकते हैं कि यह बहुत ही सफल प्रोजेक्ट बनाया गया है।… (व्यवधान) इसी प्रकार कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन सीएंडडी वेस्ट मैनेजमेंट सूरत… (व्यवधान) साथ ही सूरत मनी कार्ड… (व्यवधान) कॉमन मोबिलिटी कार्ड… (व्यवधान) यह सूरत के अलावा तीन अन्य शहरों कोच्चि, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, इन सब शहरों में भी कॉमन मोबिलिटी

कार्ड लागू किया गया है।... (व्यवधान) इससे नगरीय परिवहन सेवाओं के साथ-साथ रिटेल भुगतान भी सरलता से किया जा सकता है।... (व्यवधान) बायो-सीएनजी प्लांट इंदौर, यह भी अपने आपमें एक विशेष इस प्रकार का प्रोजेक्ट है, जिसको सभी शहर रेप्लिकेट कर सकते हैं।... (व्यवधान) 550 मीट्रिक टन क्षमता का प्लांट का स्थापित हुआ है।... (व्यवधान) इसकी लागत 150 करोड़ रुपये आयी है।... (व्यवधान) मल्टीमॉडल प्रोजेक्ट हब पुणे, वडोदरा और भुवनेश्वर में हैं और इस प्रकार का यह सिस्टम बनाया गया है।... (व्यवधान) मार्केट डेवलपमेंट... (व्यवधान) राजकोट, धर्मशाला और बिलासपुर।... (व्यवधान) इसलिए मल्टीमॉडल मार्केट री-डेवलपमेंट किया गया है।... (व्यवधान) बेंगलुरु, नागपुर और बेलागावी में मल्टी लेवल कार पार्किंग... (व्यवधान) का प्रबंधन किया गया है।... (व्यवधान) स्मार्ट... (व्यवधान) स्मार्ट लाइफ्स का भी प्रबंधन किया गया है।... (व्यवधान)

श्री रविंद्र दत्ताराम वायकर (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : महोदय, धन्यवाद।... (व्यवधान)

माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि 8,063 परियोजनाएँ चालू हैं, उनमें से 7,636 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं।... (व्यवधान) मेरा प्रश्न यह है कि स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) को वर्ष 2015 में 100 शहरों के लिए लाँच किया गया था।... (व्यवधान) मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या इस मिशन को और नए शहरों में विस्तार देने पर कोई विचार किया जा रहा है? ... (व्यवधान) जिन शहरों को एससीएम के तहत बनाया गया है, क्या उनके लांग टर्म प्रिजर्वेशन और मेन्टिनेंस के लिए कोई वित्तीय मॉडल तैयार किया गया है?... (व्यवधान) धन्यवाद।

श्री मनोहर लाल : महोदय, स्मार्ट सिटी मिशन प्रोग्राम इसलिए शुरू किया गया था, क्योंकि हमारे देश की आबादी का लगातार शहरीकरण हो रहा है।... (व्यवधान) अभी तक हमारी जो आबादी है, वह शहरों में 33 प्रतिशत हो गई है, जो आज से 20 साल पहले मात्र 20 प्रतिशत थी।... (व्यवधान) ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आगे चलकर वर्ष 2047 तक यह आबादी 50 प्रतिशत हो जायेगी।... (व्यवधान) इतनी बड़ी आबादी के लिए नये शहरों का निर्माण और पुराने शहरों का कैसे री-डेवलपमेंट किया जाए, उसके लिए एक मॉडल के रूप यह स्मार्ट सिटी मिशन लागू किया गया है।... (व्यवधान)

(1110/MNS/GM)

स्मार्ट सिटी मिशन को लागू करने का अर्थ यह है कि हम ऐसे प्रोजेक्ट्स, जो अच्छे, सुंदर, टिकाऊ प्रोजेक्ट बन सकें, उन्हें वहां किया जा सके। एक सीमित मात्रा में कई प्रदेशों को एक अवसर दिया गया, ताकि वे उनको अपनी ओर से रेप्लीकेट कर सकें, नए शहरों में लागू कर सकें और नए शहरों में लागू करके अपने-अपने शहरों को सुंदर, स्वस्थ वातावरण अनुकूल बना सकें।... (व्यवधान) इसलिए इस योजना को 31 मार्च, 2025 को बंद किया गया है। ... (व्यवधान) जो प्रोजेक्ट्स शेष बचे हैं, उनको भी 31 दिसंबर, 2025 तक पूरा करने के

(pp. 5-30)

लिए कह दिया गया है, ताकि उस समय तक जो पूरा करें, जिसकी पूरी राशि जिन-जिन प्रदेशों को जानी थी, उन सभी को चली गई है।... (व्यवधान) केवल 12 ऐसे प्रदेश हैं, जो अपनी राशि को पूरा खर्च नहीं कर सके।... (व्यवधान) यह सब कार्यक्रम अब 31 मार्च, 2025 को समाप्त कर दिया गया है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण मंत्रालय एवं विभागों पर चर्चा है। विशेष रूप से हमारे जनजातीय क्षेत्र के बहुत से माननीय सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सड़क परिवहन मंत्रालय से हमारे दीपेन्द्र हुड्डा जी प्रश्न लगाते हैं, लेकिन प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपसे आग्रह करूंगा, प्रश्न काल माननीय सदस्यों का समय होता है। आपको जनता ने बहुत अपेक्षाओं के साथ यहां भेजा है। मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि सदन चले। सदन में चर्चा हो, संवाद हो, प्रश्नकाल पर महत्वपूर्ण सवाल उठें, सरकार की जिम्मेदारी तय हो।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं रोज आपसे आग्रह करता हूं, लेकिन आप रोजाना नियोजित तरीके से सदन को बाधित करना चाह रहे हैं। आप तख्तियां लेकर आ रहे हैं। आपको जिस विषय पर भी चर्चा करनी है, संवाद करना है, आप नियम प्रक्रियाओं के तहत नोटिस दीजिए, मैं आप सबको अलाऊ करूंगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं। देश की जनता आपको देख रही है कि आप चुनकर आने के बाद भी लोकतंत्र की मर्यादाओं, परंपराओं का पालन नहीं कर रहे हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपसे पुन: आग्रह करता हूं कि आप अपनी-अपनी सीट पर जाकर बैठिए। मैं सदन की कार्यवाही चलाना चाहता हूं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही बारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1113 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1200/RV/GTJ)

1200 बजे

लोक सभा बारह बजे पुन: समवेत हुई।

(श्रीमती संध्या राय पीठासीन हुईं)

… (व्यवधान)

1200 बजे

(इस समय श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत, श्रीमती प्रतिमा मण्डल, डॉ. कलानिधि वीरास्वामी, श्री अभय कुमार सिन्हा और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

… (व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1200 बजे

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष जी को कई माननीय सदस्यों के द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

… (व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1201 बजे

माननीय सभापति: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर - 2, माननीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Hon. Chairperson Madam, with your kind permission, on behalf of my colleague Shri Shripad Yesso Naik, I rise to lay on the Table a copy of the Electricity (Transmission System Planning, Development and Recovery of Inter-State Transmission Charges) Amendment Rules, 2025 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.414(E) in Gazette of India dated 26th June, 2025 under Section 179 of the Electricity, Act 2003. … (*Interruptions*)

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हर्ष मल्होत्रा) : आदरणीय सभापति महोदया, अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री अजय टम्टा जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं: -

(1) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना, 2025, जो दिनांक 5 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.2015(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) का.आ. 2489(अ) जो दिनांक 5 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना, 2025 के लिए दिशानिर्देश अधिसूचित किए गए हैं।

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) (दूसरा संशोधन) नियम, 2025, जो दिनांक 1 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.437(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) (संशोधन) नियम, 2025, जो दिनांक 18 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.388(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) का.आ.1348(अ) जो दिनांक 21 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-548 डीजी के डिजाइन किमी. 00.000 से किमी. 24.037 तक न्हावारा-चौफुला सेक्शन के 2/4 लेन खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(दो) का.आ.1349(अ) जो दिनांक 21 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में एनएच-150ए के डिजाइन किमी. 112.750 से किमी. 148.720 तक लिंगासुगुर-मुदबल और मास्की शहर सीमा खंड के पेव्ड सोल्डर वाली दो लेन की परियोजना के

लिए ईपीसी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तीन) का.आ.1365(अ) जो दिनांक 24 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच-216 (पुराना एनएच-214) के डिजाइन किमी. 0.000 से किमी. 46.725 (मौजूदा किमी. 000.000 से किमी. 41.161) तक काठीपुडी से गुरजनापल्ली (काकीनाडा बाईपास के अंत) के 2/4 लेन खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(चार) का.आ.1491(अ) जो दिनांक 27 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-30 (पुराना एनएच-24) के किमी. 262.000 से किमी. 419.590 (मौजूदा किमी. 262.000 से किमी. 413.200) तक बरेली-सीतापुर खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(पांच) का.आ.1492(अ) जो दिनांक 27 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में एनएच-41 के किमी. 0.000 से किमी. 71.400 तक गांधीधाम (कांडला) से मुंद्रा पोर्ट खंड की परियोजना के लिए टीओटी आधार पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(छह) का.आ.1493(अ) जो दिनांक 27 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तराखंड राज्य में पुराने एनएच-58 (नया एनएच-334 और एनएच-34) खंड के किमी. 166.000 से किमी. 209.120 तक चार लेन की मुजफ्फरनगर-हरिद्वार खंड की परियोजना के लिए टीओटी आधार पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सात) का.आ.1494(अ) जो दिनांक 27 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में पुराने एनएच-58 (नया एनएच-334) खंड के किमी. 130.560 से किमी. 166.000 तक चार लेन की मुजफ्फरनगर-हरिद्वार खंड की परियोजना के लिए टीओटी आधार पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(आठ) का.आ.1495(अ) जो दिनांक 27 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में एनएच-30 (पुराना एनएच-200) के किमी. 0.000 से किमी. 48.580 तक रायपुर से सिमगा खंड की चार लेन की परियोजना के लिए टीओटी आधार पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(नौ) का.आ.1496(अ) जो दिनांक 27 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच-16 के किमी. 634.000 से किमी. 700.544 तक रणस्थलम से हनुमंतवाका, विशाखापत्तनम खंड परियोजना (इनविट) (कुल परियोजना लंबाई 66.544 किमी.) के लिए टीओटी आधार पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(दस) का.आ.1497(अ) जो दिनांक 27 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच-04 के किमी. 134.980 से किमी. 219.687 (कुल परियोजना लंबाई 84.797) तक तमिलनाडु/आंध्र प्रदेश सीमा - नलगामपल्ली – आंध्र प्रदेश/कर्नाटक सीमा खंड की परियोजना के लिए टीओटी आधार पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ.1498(अ) जो दिनांक 27 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच-16 के डिजाइन किमी. 682.980 से डिजाइन किमी. 731.585 तक छह लेन की आनंदपुरम-पेंडुर्थी-अंकापल्ली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(बारह) का.आ.1499(अ) जो दिनांक 27 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच-16 के किमी. 580.671 से किमी. 634.861 तक छह लेन की नरसन्नापेटा-रणस्थलम खंड की परियोजना के लिए टीओटी आधार पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तेरह) का.आ.1500(अ) जो दिनांक 27 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में एनएच-200 (नया एनएच-130 और 49) के किमी. 48.580 से किमी. 126.525 तक चार लेन की सिमगा बिलासपुर खंड की परियोजना के लिए टीओटी आधार पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(चौदह) का.आ.1501(अ) जो दिनांक 27 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच-16 के डिजाइन किमी. 15.320 से डिजाइन किमी. 85.204 तक चार लेन की गुंडुगोलानु-देवरापल्ली-कोव्वुरु परियोजना के लिए टीओटी आधार पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(पंद्रह) का.आ.1502(अ) जो दिनांक 27 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 140 के किमी. 0.000 से किमी. 61.128 तक (कुल परियोजना लंबाई 61.128 किमी.) चित्तूर-मल्लावरम खंड की परियोजना के लिए टीओटी आधार पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सोलह) का.आ.1621(अ) जो दिनांक 4 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-753एफ के किमी. 60.630 से किमी. 99.660 तक सिल्लोड-फरदापुर खंड की चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सत्रह) का.आ.1622(अ) जो दिनांक 4 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-753एफ के किमी. 99.660 से किमी. 147.380 तक फरदापुर-जलगांव खंड की चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(अठारह) का.आ.1647(अ) जो दिनांक 8 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में एनएच-3 (पुराना एनएच-1) के किमी. 387.100 से किमी. 456.00 तक जालंधर से अमृतसर खंड की चार या उससे अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(उन्नीस) का.आ.1677(अ) जो दिनांक 9 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में एनएच-218 (नया एनएच-52) के डिजाइन किमी. 153.000 से किमी. 193.350 तक बीजापुर-हुबली खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(बीस) का.आ.1678(अ) जो दिनांक 9 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में एनएच-157 के डिजाइन चेनेज किमी. 0.000 से किमी. 86.330 तक और किमी. 86.615 से किमी. 119.000 तक चारिछक-भंजनगर खंड के पेव्ड सोल्डर के साथ दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(इक्कीस) का.आ.1679(अ) जो दिनांक 9 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-753एफ के किमी. 0.000 से किमी. 21.000, किमी. 26.300 से 47.500 और किमी. 47.500 से 54.500 तक औरंगाबाद-सिलोद खंड की चार या उससे

अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(बाईस) का.आ.1680(अ) जो दिनांक 9 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-752ई के किमी.0.000 से किमी. 55.937 तक पैठण-शिरूर खंड डिजाइन चेनेज के पेव्ड सोल्डर खंड वाले दो लेन के उपयोग की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तेईस) का.आ.1681(अ) जो दिनांक 9 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में एनएच-927ए के डिजाइन किमी. 208.550 से डिजाइन किमी. 256.700 (मौजूदा किमी. 207.700 से मौजूदा किमी. 275.000) तक सागवाड़ा-गढ़ी-परतापुर-वजवाना-तलवाड़ा-बांसवाड़ा खंड के पेव्ड सोल्डर वाली दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(चौबीस) का.आ.1888(अ) जो दिनांक 25 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-50 के किमी. 0.000 से किमी. 65.952 तक डिजाइन चेनेज से नांदेड़ से जलकोट खंड के पेव्ड सोल्डर वाली दो लेन की परियोजना के लिए ईपीसी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(पच्चीस) का.आ.1889(अ) जो दिनांक 25 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-161ए के किमी. 0.000 से किमी. 33.000 तक डिजाइन चेनेज से भोकर से सरसम खंड की 2/4 लेन खंड की परियोजना के लिए ईपीसी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(छब्बीस) का.आ.1996(अ) जो दिनांक 25 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में कटरा-पीलीभीत खंड के किमी. 114.000 से किमी. 183.380 तक (एनएच-730सी, एनएच-730बी और एनएच-731के पर 114.000 किमी. दूरी से शुरू होकर किमी. 183.380 पर समाप्त) पेव्ड सोल्डर खंड वाली दो लेन की परियोजना के लिए ईपीसी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सत्ताईस) का.आ.1997(अ) जो दिनांक 2 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में एनएच-751 के डिजाइन

किमी. 136.000 से किमी. 169.308 (मौजूदा किमी. 136.025 से किमी. 169.328) तक अधेलाई गांव से नारी जंक्शन खंड की चार या उससे अधिक लेन खंड की परियोजना के लिए हाइब्रिड एन्युटी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(अट्ठाईस) का.आ.2004(अ) जो दिनांक 2 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में एनएच-752डी के डिजाइन चैनेज 26.900 से चैनेज 96.000 तक उज्जैन-बदनावर खंड की 2/4 लेन खंड की परियोजना के लिए एचएएम मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(उनतीस) का.आ.2005(अ) जो दिनांक 2 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में एनएच-88 (नया एनएच-303, 503) के डिजाइन किमी. 175.270 से किमी. 193.400 तक, भांगबार (रानीताल के पास) से कांगड़ा बाईपास तक चार या उसके अधिक लेन खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तीस) का.आ.2053(अ) जो दिनांक 8 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में एनएच-49 (पुराना एनएच-200) के डिजाइन चेनेज किमी. 269.300 से किमी. 325.900 (मौजूदा चेनेज किमी. 269.300 से किमी. 328.200 तक) तक झारसुगुड़ा-भोजपुर खंड के पेव्ड सोल्डर खंड वाली दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(इकतीस) का.आ. 2054(अ) जो दिनांक 8 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 तक के डिजाइन किमी. 202.050 से किमी. 244.813 तक (वर्तमान किमी. 202.050 से किमी. 244.930 तक) (लंबाई 42.763 किमी.) मुलाकालाचेरुवु से मदनपल्ले खंड की 2/4 लेन खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(बत्तीस) का.आ. 2134(अ) जो दिनांक 14 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-548बी के विजयपुरा-संकेश्वर खंड के डिजाइन किमी. 0.000 से किमी. 79.700 तक पेव्ड शोल्डर खंड सहित दो लेन की परियोजना के लिए हाइब्रिड एन्युटी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तैंतीस) का.आ. 2135(अ) जो दिनांक 14 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे संख्या एनई-8 के किमी. 0.000 से किमी. 84.709 (सरदार पटेल रिंग रोड से अधेलाई गांव तक) खंड की परियोजना के लिए ईपीसी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(चौंतीस) का.आ.2147(अ) जो दिनांक 14 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-341 के भीमासर जंक्शन से अंजार-भुज तक एयरपोर्ट जंक्शन, किमी. 0.000 से किमी. 65.478 (किमी. 54.680 से किमी. 60.620 के बीच के भाग को छोड़कर) तक राष्ट्रीय राजमार्ग-341 एनएच-41 के भीमासर जंक्शन से अंजार-भुज एयरपोट जंक्शन तक के चार या अधिक लेन खंड वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(पैंतीस) का.आ.2236(अ) जो दिनांक 19 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा और राजस्थान राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनई-4 के किमी. 0.000 से किमी. 228.748 (0.00 किमी. से शुरू होकर चैम्बर 228.748 पर शुल्क प्लाजा पर समाप्त) (लंबाई 228.748 किमी.) तक के खंड के उपयोग हेतु परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(छत्तीस) का.आ.2213(अ) जो दिनांक 23 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत रायपुर-विशाखापत्तनम आर्थिक गलियारा (एनएच-130सीडी) के तहत झांकी, सरगी, बसनवाही, मारंग सीपुरी, धनारा, हातिबेना, बदाकुमारी, कार्की, कलियागुरा, बाउंसागुआर, बाराजा, कंदिली, अलुरु, जक्कुवा, कोरलम कांतकापल्ले और सब्बावरम से गुजरने वाली झांकी से सब्बावरम (चैनल 0.000 से चैनल 464.662 तक) की छह लेन की परियोजना के लिए एचएएम मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सैंतीस) का.आ.2363(अ) जो दिनांक 28 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गोवा राज्य में एनएच-166एस के चैनेज किमी. 0.00 से किमी. 6.58 तक, एनएच-66 से मोपा विमानपत्तन खंड तक लिंक रोड की चार लेन या उससे अधिक की परियोजना के लिए ईपीसी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(अड़तीस) का.आ.2364(अ) जो दिनांक 28 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731 के किमी. 229.070 से 260.800 तक पेव्ड शोल्डर सहित हरदोई जिले के अंत से लखनऊ तक 4-लेन की परियोजना के लिए ईपीसी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(उनतालीस) का.आ.2366(अ) जो दिनांक 28 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-752आई के किमी. 0.000 से किमी. 48.000 तक जिंतूर से शिरद शाहपुर डिजाइन चेनेज तक पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के लिए ईपीसी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(चालीस) का.आ.2382(अ) जो दिनांक 30 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 161ए के किमी. 33.000 से किमी. 90.000 तक डिजाइन चेनेज तक सरसम से कोठारी खंड के पेव्ड शोल्डर खंड सहित दो लेन की परियोजना के लिए ईपीसी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(इकतालीस) का.आ.2383(अ) जो दिनांक 30 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गोवा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (पुराना एनएच-17) के चैनेज किमी. 475.000 से किमी. 535.600 (किमी. 508.000 से किमी. 513.150 को छोड़कर) तक पतरादेवी से जुआरी ब्रिज पैकेज-3 खंड के चार लेन या उससे अधिक खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(बयालीस) का.आ.2384(अ) जो दिनांक 30 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 752आई के किमी. 64.700 से किमी. 103.713 तक हिमायतनगर से फुलसावंगी डिजाइन चेनेज तक पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के लिए ईपीसी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तैंतालीस) का.आ.2490(अ) जो दिनांक 5 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो भारतमाला परियोजना के तहत आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 के डिजाइन किमी. 0.000 से किमी. 55.900 (मौजूदा किमी. 0.000 से किमी. 59.250) तक मदनपल्ले-पिलेरू खंड के चार या उससे अधिक लेन की परियोजना के

लिए हाइब्रिड एन्युटी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(चवालीस) का.आ.2491(अ) जो दिनांक 5 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 744 (के डिजाइन किमी. 0.000 से किमी. 36.000 तक थिरुमंगलम-वडुगापट्टी खंड एनएच-208 के मौजूदा किमी. 231.600 से एनएच-208 के किमी. 197.000 तक) और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 744 के डिजाइन किमी. 36.000 से किमी. 71.600 तक वडुगापट्टी-थेरकुवंगनल्लूर खंड (एनएच-208 के मौजूदा किमी. 197.000 से एनएच-208 के किमी. 163.000 तक) की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(पैंतालीस) का.आ.2559(अ) जो दिनांक 11 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 167बी के डिजाइन चैनेज किमी. 58.635 से 99.409 (मौजूदा किमी. 16.200 से 59.114) तक कडप्पा/नेल्लोर सीमा से सीएस पुरम खंड तक पेव्ड शोल्डर खंड सहित दो लेन की परियोजना के लिए ईपीसी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(छियालीस) का.आ.2684(अ) जो दिनांक 16 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में गोविंदपुर-राजुरा खंड के किमी. 32.910 से किमी. 89.011 तक चार या उससे अधिक लेन वाले खंड की परियोजना के लिए हाइब्रिड एन्युटी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सैंतालीस) का.आ.2711 (अ) जो दिनांक 17 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-67 के किमी. 482.000 से किमी. 554.800 (मौजूदा किमी. 476.700 से किमी. 545.150 तक) तक मुद्दनूर होते हुए तड्डीपत्री से जम्मालामदुगु तक चार या उससे अधिक लेन वाले खंड की परियोजना के लिए ईपीसी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(अड़तालीस) का.आ.2712(अ) जो दिनांक 17 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत एनई-7 के बैंगलोर से बेथमंगला खंड के एनई-7 के 0.000 से किमी. 71.000 तक के चार या उससे अधिक लेन वाले खंड (आरंभ बिंदु पर राष्ट्रीय राजमार्ग -4 पर इंटरचेंज के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग -207 की ओर 0.700 किमी. पहुंच मार्ग सहित) की परियोजना के लिए

हाइब्रिड एन्युटी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(उनचास) का.आ.2850(अ) जो दिनांक 25 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग -25 एक्सटेंशन के किमी. 69.910 से किमी. 126.355 तक घागरिया-मुनाबाओ खंड के पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के लिए ईपीसी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(पचास) का.आ.2851(अ) जो दिनांक 25 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग -709 एक्सटेंशन के राजगढ़ बाईपास (डिजाइन किमी. 0.000 से किमी. 5.400) और पिलानी बाईपास (डिजाइन किमी. 35.840 से किमी. 43.120) सहित किमी. 0.000 से किमी. 57.425 तक पेव्ड शोल्डर खंड के साथ दो लेन की परियोजना के लिए ईपीसी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(इक्यावन) का.आ.2852(अ) जो दिनांक 25 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 81 के डिजाइन किमी. 26.500 से किमी. 81.300 तक पल्लदम-कुरुकाठी खंड की चार या उससे अधिक लेन की परियोजना के लिए ईपीसी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(बावन) का.आ.2869(अ) जो दिनांक 26 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 361एफ के किमी. 115.000 से किमी. 136.700 तक डिजाइन चैनेज से सिरसला से परली खंड के 2/4 लेन और किमी. 137.700 से किमी. 168.100 तक डिजाइन चैनेज से परली से गंगाखेड़ खंड की परियोजना के लिए ईपीसी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तिरपन) का.आ.2870(अ) जो दिनांक 26 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 352ए के डिजाइन किमी. 40.601 से किमी. 78.837 तक गोहाना से सोनीपत खंड के चार या अधिक लेन खंड की परियोजना के लिए हाइब्रिड एन्युटी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(चौवन) का.आ.3022(अ) जो दिनांक 7 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या

752आई के किमी. 0.000 से किमी. 64.700 तक अर्धपुर से हिमायतनगर डिजाइन चैनेज के पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के लिए ईपीसी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(पचपन) का.आ.3023(अ) जो दिनांक 7 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य के अंबाला जिले में बनौंदी गांव के पास एनएच-72 (नए एनएच-344 और एनएच-7 का हिस्सा) के डिजाइन किमी.-0.800 से किमी. 33.015 तक अंबाला-कालाअंब खंड की परियोजना के लिए हाइब्रिड एन्युटी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(छप्पन) का.आ.3024(अ) जो दिनांक 7 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 544 के किमी. 144.680 से किमी. 183.010 तक नीलांबुर से वालयार खंड की चार या उससे अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सतावन) का.आ.3206(अ) जो दिनांक 14 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 361एफ के किमी. 0.000 से किमी. 36.900 तक डिजाइन चेनेज से खारवंडी से राजुरी खंड के 2/4 लेन खंड की परियोजना के लिए ईपीसी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(अठावन) का.आ.3207(अ) जो दिनांक 14 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 167एडी के किमी. 0.000 से किमी. 43.659 तक माचेरला से दाचेपल्ली खंड के पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के लिए ईपीसी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(उनसठ) का.आ.3208(अ) जो दिनांक 14 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनएच-344जी पर डिजाइन किमी. 0.000 (गांव-मविकला के पास दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारा (चरण-I) के डिजाइन किमी. 31.650 से शुरू होकर) से डिजाइन किमी. 119.700 (गांव-लतीफपुर के पास सहारनपुर बाईपास पर विलय) तक के खंड के उपयोग की परियोजना के लिए ईपीसी मोड पर प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में

है।

(साठ) का.आ.3254(अ) जो दिनांक 16 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनई-4 पर वडोदरा-मुंबई खंड के किमी. 936.141 से किमी. 1032.991 (936.141 किमी. से शुरू होकर चैनल 1032.991 पर शुल्क प्लाजा पर समाप्त) (लंबाई 96.850 किमी.) खंड के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

… (व्यवधान)

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तोखन साहू) : सभापति महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं: -

(1) (एक) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण, मुख्य सुरक्षा अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, सहायक सुरक्षा अधिकारी, प्रधान सुरक्षा गार्ड एवं सुरक्षा गार्ड (समूह 'क', 'ख' एवं 'ग' पद) भर्ती नियम, 2025 जो दिनांक 20 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 182 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

… (व्यवधान)

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

1202 hours

SECRETARY GENERAL: Madam, I have to report the following message received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

> "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 6th August, 2025 agreed without any amendment to the Carriage of Goods by Sea Bill, 2025 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 28th March, 2025."

… (*Interruptions*)

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति चौथा और पांचवां प्रतिवेदन

1203 बजे

डॉ. फग्गन सिंह कुलस्ते (मंडला) : महोदया, मैं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2025-26) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं: -

(1) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित 'दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की सेवाओं और वाणिज्यिक एवं आवासीय आवास के आवंटन में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण' विषय के बारे में चौथा प्रतिवेदन।

(2) शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) से संबंधित 'दिल्ली विश्वविद्यालय के विशेष संदर्भ में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग महाविद्यालयों, आईआईएम, आईआईटी, चिकित्सा संस्थानों जैसे स्वायत्तशासी निकायों/शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नीति का कार्यान्वयन' विषय के बारे में पांचवां प्रतिवेदन।

… (व्यवधान)

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति
अध्ययन दौरे के संबंध में प्रतिवेदन

डॉ. फग्गन सिंह कुलस्ते (मंडला) : महोदया, मैं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 5 जून, 2025 से 11 जून, 2025 तक धर्मशाला, शिमला और चंडीगढ़ के अध्ययन दौरे संबंधी प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।... (व्यवधान)

रक्षा संबंधी स्थायी समिति
11वां से 14वां प्रतिवेदन

श्री राधा मोहन सिंह (पूर्वी चम्पारण) : महोदया, मैं, रक्षा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं: -

(1) 'सामान्य रक्षा बजट, सीमा सड़क संगठन, भारतीय तटरक्षक, रक्षा सम्पदा संगठन, सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों, भूतपूर्व सैनिक कल्याण और रक्षा पेंशन (मांग सं. 19 और 22)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2024-25 की अनुदानों की मांगों पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा)।

(2) 'थल सेना, नौसेना, वायु सेना, संयुक्त स्टाफ और भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (मांग सं. 20 और 21)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2024-25 की अनुदानों की मांगों पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति का बारहवां प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा)।

(3) 'रक्षा सेवाओं, खरीद नीति और रक्षा आयोजना संबंधी पूंजीगत परिव्यय (मांग सं. 21)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2024-25 की अनुदानों की मांगों पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति का तेरहवां प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा)।

(4) 'आयुध निदेशालय (समन्वय और सेवाएं) – नए डीपीएसयू तथा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (मांग सं. 20 और 21)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2024-25 की अनुदानों की मांगों पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति का चौदहवां प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा)।

... (व्यवधान)

रक्षा संबंधी स्थायी समिति
अन्तिम की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरण

श्री राधा मोहन सिंह (पूर्वी चम्पारण) : महोदया, मैं, समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों के अध्याय एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार के अन्तिम की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं: -

(1) 'आयुध निर्माणियां, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय और राष्ट्रीय कैडेट कोर (मांग संख्या 19 और 20)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2019-20 की अनुदानों की मांगों पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2019-20) के चौथे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2020-21) का 13वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(2) 'आयुध निर्माणियां, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय और राष्ट्रीय कैडेट कोर (मांग संख्या 19 और 20)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2020-21 की अनुदानों की मांगों पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2019-20) के आठवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2020-21) का 16वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(3) 'थल सेना, नौसेना, वायु सेना, संयुक्त स्टाफ, सैन्य इंजीनियर सेवाएं, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना और सैनिक स्कूल (मांग संख्या 20 और 21)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2022-23 की अनुदानों की मांगों पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के 27वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23) का 32वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(4) 'रक्षा सेवाओं, खरीद नीति, रक्षा योजना और विवाहित आवास परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय (मांग संख्या 21)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2022-23 की अनुदानों की मांगों पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के 28वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23) का 33वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(5) 'आयुध निदेशालय (समन्वय और सेवाएं) - नए डीपीएसयू, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीक्यूए) और राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) (मांग संख्या 20 और 21)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2022-23 की अनुदानों की मांगों पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के 29वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23) का 34वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(6) 'सामान्य रक्षा बजट, सीमा सड़क संगठन, भारतीय तटरक्षक, रक्षा संपदा संगठन, रक्षा संबंधी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, कैंटीन भण्डार विभाग, भूतपूर्व सैनिक कल्याण और रक्षा पेंशन (मांग संख्या 19 और 22)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2022-23 की अनुदानों की मांगों पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के 26वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23) का 40वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(7) 'सशस्त्र बलों में शहीदों की विधवाओं/परिवारों के लिए उपलब्ध कल्याणकारी उपायों का आकलन' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के 31वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23) का 41वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(8) 'सामान्य रक्षा बजट, सीमा सड़क संगठन, भारतीय तटरक्षक, रक्षा संपदा संगठन, रक्षा संबंधी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, भूतपूर्व सैनिक कल्याण और रक्षा पेंशन (मांग संख्या 19 और 22)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2023-24 की अनुदानों की मांगों पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के 35वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2023-24) का 43वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(9) 'थल सेना, नौसेना, वायु सेना, संयुक्त स्टाफ, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना और सैनिक स्कूल (मांग संख्या 20 और 21)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2023-24 की अनुदानों की मांगों पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के 36वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2023-24) का 44वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(10) 'रक्षा सेवाओं, खरीद नीति और रक्षा योजना पर पूंजीगत परिव्यय (मांग संख्या 21)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2023-24 की अनुदानों की मांगों पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के 37वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2023-24) का 45वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(11) 'आयुध निदेशालय (समन्वय और सेवाएं) - नए डीपीएसयू, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और राष्ट्रीय कैडेट कोर (मांग संख्या 20 और 21)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2023-24 की अनुदानों की मांगों पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के 38वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2023-24) का 46वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(12) 'रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) के कार्यकरण की समीक्षा' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2023-24) के 42वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में रक्षा संबंधी

स्थायी समिति (2024-25) का पांचवां प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा)।

(13) 'देश में जिला सैनिक बोर्डों के कार्यकरण की समीक्षा' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2023-24) के 47वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2024-25) का छठा प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा)।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य डॉ. शशि थरूर जी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य श्री अरुण गोविल जी।

… (व्यवधान)

STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS

7th Report

SHRI ARUN GOVIL (MEERUT): Madam, I rise to present the Seventh Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on External Affairs (Eighteenth Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Fourth Report of the Committee on External Affairs on ‘Demands for Grants of the Ministry of External Affairs for the year 2024-2025’.

… (*Interruptions*)

(1205/RCP/MY)

STANDING COMMITTEE ON HOUSING AND URBAN AFFAIRS

Statement

SHRI MAGUNTA SREENIVASULU REDDY (ONGOLE): Madam, I rise to lay the action taken statement (Hindi and English versions) on Action Taken by the Government on Recommendations/Observations contained in Chapter I of the Fourth Report (Eighteenth Lok Sabha) of the Standing Committee on Housing and Urban Affairs on Action Taken by the Government on the Recommendations/Observations contained in the First Report (Eighteenth Lok Sabha) of the Committee on 'Demands for Grants (2024-25) of the Ministry of Housing and Urban Affairs’.

… (*Interruptions*)

STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
16th and 17th Reports

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Madam, I rise to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj:-

(1) Sixteenth Report on 'Action Taken by the Government on the recommendations contained in the 6th Report on Demands for Grants (2025-26)' pertaining to the Department of Land Resources (Ministry of Rural Development).

(2) Seventeenth Report on 'Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY)' pertaining to the Department of Rural Development (Ministry of Rural Development).

… (*Interruptions*)

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 1ST REPORT OF STANDING COMMITTEE ON ENERGY – LAID

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Hon. Chairperson Madam, with your kind permission, on behalf of my colleague Shri Shripad Yesso Naik, I rise to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 1st Report of the Standing Committee on Energy on Demands for Grants (2024-2025) pertaining to the Ministry of Power.

… (*Interruptions*)

STATEMENTS RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 1ST AND 3RD REPORTS OF STANDING COMMITTEE ON WATER RESOURCES – LAID

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF JAL SHAKTI; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI V. SOMANNA): Respected Madam, with your kind permission, I rise to lay the following statements regarding:-

(1) the status of implementation of the recommendations contained in the 1st Report of the Standing Committee on Water Resources on Demands for Grants (2024-2025) pertaining to the Department of Drinking Water and Sanitation, Ministry of Jal Shakti.

(2) the status of implementation of the recommendations contained in the 3rd Report of the Standing Committee on Water Resources on Demands for Grants (2025-2026) pertaining to the Department of Drinking Water and Sanitation, Ministry of Jal Shakti.

… (*Interruptions*)

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 22ND REPORT OF STANDING COMMITTEE ON WATER RESOURCES – LAID

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF JAL SHAKTI; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI V. SOMANNA): Respected Madam, on behalf of my colleague Shri Raj Bhushan Choudhary, I rise to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 22nd Report of the Standing Committee on Water Resources on 'Groundwater: A Valuable but Diminishing Resource' pertaining to the Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti.

… (*Interruptions*)

MANIPUR GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) BILL

1208 hours

THE MINISTER OF FINANCE; AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Madam, with your permission, I rise to move for leave to introduce a Bill further to amend the Manipur Goods and Services Tax Act, 2017.

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : प्रश्न यह है :

> "कि मणिपुर माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

… (व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Madam, I introduce the Bill.

… (*Interruptions*)

STATEMENT RE: MANIPUR GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ORDINANCE, 2025 – LAID

THE MINISTER OF FINANCE; AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Madam, with your permission, I rise to lay on the Table an explanatory statement (Hindi and English versions) showing reasons for immediate legislation by promulgation of the Manipur Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2025 (No.1 of 2025)

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति: मैं सभी माननीय सदस्यगणों से आग्रह कर रही हूं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: मैं बार-बार आप सब से निवेदन कर रही हूं कि आप सब अपनी-अपनी सीट पर विराजें। बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी है। आप सब अपनी गंभीरता का परिचय दें।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप सभी काफी वरिष्ठ सांसद हैं। जो सांसद पहली बार चुन कर आए हैं, वे आप सब से सीखना चाहते हैं। पूरे देश की जनता चाहती है कि हर मुद्दे पर यहां चर्चा हो। सरकार हर विषय पर चर्चा चाहती है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप सभी का जो व्यवहार है, वह बिल्कुल ठीक नहीं है। हम सबको देश की जनता ने चुन कर लोकतंत्र के इस मंदिर में पहुंचाया है। यहां हमें सभी विषयों पर चर्चा करनी चाहिए। क्या आप सभी सदन की कार्यवाही नहीं चलाना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: प्लीज, आप सभी अपनी-अपनी सीट पर विराजिए। क्या आप सदन की कार्यवाही नहीं चलाना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

… (व्यवधान)

1209 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा चौदह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1400/GG/HDK)
1400 बजे

लोक सभा चौदह बजे पुनः समवेत् हुई।

(श्री जगदम्बिका पाल पीठासीन हुए)

नियम 377 के अधीन मामले – सभा पटल पर रखे गए

1400 बजे

माननीय सभापति (श्री जगदम्बिका पाल): माननीय सदस्यगण, आज जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति दी गई है, वे 20 मिनट के भीतर मामले के पाठ को व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें।

Re: Need to make Rashtriya Gokul Mission, National Livestock Mission and Animal Husbandry Infrastructure Development Fund favourable for small and marginal Farmers in Maharashtra

श्रीमती स्मिता उदय वाघ (जलगांव) : मैं केन्द्र सरकार द्वारा पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र को सशक्त बनाने हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन तथा एनिमल हस्बेंड्री इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जैसी दूरदर्शी योजनाओं के लिए हार्दिक अभिनंदन करती हूं। इन प्रयासों से देश में डेयरी क्षेत्र का कायाकल्प हुआ है, परंतु महाराष्ट्र के जलगांव जैसे जिलों में, जहां अधिकांश डेयरी किसान सीमांत व लघु श्रेणी के हैं, उन्हें इन योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे किसान जिनके पास केवल 10–15 गाय-भैंसें हैं, वे आज भी जटिल प्रक्रियाओं, ऋण हेतु गिरवी की शर्तों और जागरूकता की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। मैंने 22 जुलाई 2025 को लोकसभा में प्रश्न क्रमांक 415 के माध्यम से यह विषय उठाया था, किंतु उत्तर में छोटे किसानों की आवश्यकताओं का समाधान नहीं मिला। अतः मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इन योजनाओं की समीक्षा कर इन्हें छोटे डेयरी किसानों के अनुकूल सरल बनाया जाए, उनके लिए विशेष कोटा सुनिश्चित किया जाए, तथा स्थानीय स्तर पर सहयोगी तंत्र विकसित किया जाए। साथ ही, जलगांव को इस दिशा में पायलट जिले के रूप में चयनित किया जाए। (इति)

Re: Railway related issues of Jammu Parliamentary constituency

श्री जुगल किशोर (जम्मू) : मैं माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र के रेलवे से सम्बन्धित लोगों की मांगे है जो निम्न प्रकार हैं:-

1. सांबा जिले के गुरहा सलाथिया गाँव में रेल ओवर ब्रिज के निर्माण इसकी आधारशिला फरवरी, 2024 में रखी गई थी |
2. जम्मू जिले के चक लारगन बजालता में रेल अंडर ब्रिज का निर्माण हो रहा है और बजालता में ही अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण, चक लार्गन बजालता क्षेत्र में डिग्री कॉलेज, होटल, शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण कार्य चल रहा है परिणामस्वरूप जाम की लंबी कतारें लग जाएँगी। इसके अलावा, रेल अंडरब्रिज से सटा मोड़ इतना संकरा है कि एक ही वाहन गुजर सकता है, इसे भी चौड़ा करने की आवश्यकता है |
3. सांबा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का ठहराव - कोविड-19 से पहले जम्मू मेल, टाटा मूरी और सियालदह एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें सांबा रेलवे स्टेशन पर रुकती थीं, लेकिन आज तक उनका ठहराव बहाल नहीं किया गया।
4. जम्मू जिले के मनवाल रेलवे स्टेशन में फुटओवरब्रिज का निर्माण।
5. मनवाल रेलवे स्टेशन पर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जम्मू मेल और हेमकुंट एक्सप्रेस का ठहराव होना चाहिए।
6. साम्बा जिले के राया सुचेनी गाँव में रेल ओवर ब्रिज का निर्माण का कार्य जल्द हो।

(इति)

Re: Need to frame guidelines and ensure transparency in ventilators usage by private hospitals

डॉ. आनन्द कुमार गोंड (बहराइच) : देश के अनेक निजी अस्पतालों में यह देखा जा रहा है कि 60 वर्ष से अधिक आयु के गंभीर रोगियों को, जिनके ठीक होने की संभावना बहुत कम होती है, उन्हें भी अनावश्यक रूप से वेंटिलेटर पर डाल दिया जाता है। अस्पतालों द्वारा ऐसा ज़्यादातर आर्थिक लाभ के उद्देश्य से किया जाता है, जिससे न केवल परिवार को मानसिक व आर्थिक कष्ट झेलना पड़ता है, बल्कि नैतिक दृष्टिकोण से भी यह चिंताजनक है। इस प्रकार की प्रथा को रोकने के लिए एक ठोस नीति बनाने की आवश्यकता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वेंटिलेटर का उपयोग केवल चिकित्सकीय आवश्यकता के अनुसार ही हो। साथ ही, सरकार यह भी स्पष्ट करे कि विगत तीन वर्षों में देशभर के सरकारी एवं निजी अस्पतालों में वेंटिलेटर पर डाले गए कुल मरीजों की संख्या क्या है, जिनमें 60 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम आयु के मरीजों की संख्या कितनी है, और उनमें से कितने जीवित बच सके। अतः मेरा आग्रह है कि इस विषय पर केंद्र सरकार ठोस दिशा-निर्देश जारी करे, पारदर्शिता सुनिश्चित करे, और निजी अस्पतालों की जवाबदेही तय करने हेतु आवश्यक निगरानी तंत्र विकसित किया जाए।

(इति)

Re: Need to set up special teams to investigate cases of cyber frauds

श्रीमती मंजू शर्मा (जयपुर) : हमारे देश की एक विचित्र विडम्बना है, जैसे जैसे हमारा देश आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ रहा है, उसी तेजी से साइबर अपराध भी बढ़ रहे हैं। आज साइबर अपराध से देश के हजारों लोग विशेष तौर पर वरिष्ठ नागरिक इसके शिकार हो रहे हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण है जहां इन वरिष्ठ नागरिकों ने अपने जीवन भर की कमाई हुई पूंजी मिनटों में इन साइबर अपराधियों द्वारा की गई धोखाधड़ी से गवाई है। बाद में इन अपराधियों का कोई सुराग नहीं मिलता है। साइबर अपराध एक ऐसी समस्या है जो हमारे समाज को तेजी से निगल रही है। यह न केवल व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि यह हमारे देश की सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा है। साइबर अपराध के विभिन्न रूप है जैसे हैकिंग, फिशिंग, साइबर बुलिंग और ऑन लाइन धोखाधड़ी। इन अपराधों को करने वाले लोग अक्सर हमारे डेटा को चोरी करने या हमें नुकसान पहुँचाने के लिए नए और नवाचारी तरीके ढूंढते हैं। अब समय आ गया है जब सरकार को इस विषय में कड़ी से कड़ी और तुरन्त कार्यवाही करने की आवश्यकता है। मेरा यह मानना है कि सरकार इस विषय पर कार्यवाही कर रही है, लेकिन साइबर अपराध के मामलों की जांच करने और अपराधियों को पकड़ने के लिए विशेष टीमों का गठन करने की आवश्यकता है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाये और हमारी आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुँचे, सरकार अविलम्ब सख्त से सख्त कार्यवाही करें और इन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाये। जब तक ऐसा नहीं होगा ये साइबर अपराधी हमारी स्थिति और हमारे समाज के ताने बाने को खोखला करते रहेंगें।

(इति)

Re: Need for investigation into alleged mismanagement of National Health Mission funds in Himachal Pradesh

SHRI ANURAG SINGH THAKUR (HAMIRPUR): There is an alarming mismanagement of National Health Mission (NHM) funds in Himachal Pradesh, by the State Government that came into light recently. High court also pointed out grave irregularities in the utilization of ₹521 crore allocated for 2024-25. The affidavit of HP State Government was not upto the level to account for improvements in rural healthcare infrastructure. This is not an isolated incident, the state also grapples with severe doctor shortages in primary health care centers, with 43 PHCs without medical officers despite massive transfers and only 11 new appointments. Also a ₹400 crore Ayushman-Himcare scam uncovered in April 2025, involving fake claims and data theft. All these point out to irregularities made by the State Government, which is depriving people of their right to healthcare. This breach of public trust and endangering lives through this blatant misuse of central funds needs to be investigated. I urge the Central Government to conduct a detailed audit of all centrally sponsored schemes and Central Sector Schemes in Himachal Pradesh to uncover the truth, ensure accountability and prevent further leakage of funds. Himachal Pradesh deserves transparency and efficient health care to realize the goals of Ayushman Bharat.

(ends)

Re: Need to establish Sainik Schools in Jalore Parliamentary Constituency

श्री लुम्बाराम चौधरी (जालौर) : जालौर संसदीय क्षेत्र (राजस्थान) अंतर्गत जालौर और सिरोही भौगोलिक रूप से बहुत ही समृद्ध क्षेत्र है। यह क्षेत्र रेगिस्तान और पहाड़ से घिरा है। इस क्षेत्र की जनता स्वाभाविक रूप से साहसी वीर और कठोर परिश्रमी है। जालौर जिला अंतराष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है। चितलवाना व सरवाना पुलिस स्टेशन के अंतर्गत स्थित क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में अधिसूचित क्षेत्र घोषित है। सिरोही जिला नीति आयोग के अंतर्गत आकांक्षी जिला में शामिल है। पिंडवाडा टीएसपी क्षेत्र है।

जालौर जिला साक्षरता एवं शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है तथा जिले की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 55.58 प्रतिशत है, जिसमें पुरूषों एवं महिलाओं की साक्षरता दर क्रमशः 71.83 तथा 38.73 है।

माउंट आबू में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का ऑफिसर ट्रेनिग सेंटर है। यहाँ के हजारों की संख्या में युवा सेना में सेवारत हैं तथा हजारों की संख्या में जिले में पूर्व सैनिक निवास करते हैं। इनके बच्चों को देशभक्ति की भावना से ओत प्रोत शिक्षा देने की आवश्कता है। आप से आग्रह है कि यहाँ के छात्र सेना को अपने कैरियर के रूप में चुन सकें, इसके लिए जालौर व सिरोही दोनों जिलों में सैनिक स्कूल खुलवाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जायें। (इति)

Re: Need to set up an ESIC hospital in Bhadohi Parliamentary Constituency

डॉ. विनोद कुमार बिंद (भदोही) : मेरा लोकसभा क्षेत्र भदोही वैश्विक मानचित्र पर कालीन के निर्माण और निर्यात के लिए जाना जाता है । लाखों की संख्या में श्रमिक भदोही परिक्षेत्र में कालीन कारोबार से जुड़े हैं यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां प्रत्येक गांव में श्रमिक अपने घरों पर कालीन बुनाई एवं अन्य तरह का कार्य करते हैं साथ ही कालीन कंपनियों ,फैक्ट्रियों में श्रमिकों के द्वारा काम किया जाता है। भदोही को विशिष्ट निर्यात क्षेत्र का दर्जा प्राप्त है। 15545 रजिस्टर्ड श्रमिक है जबकि 2 लाख से ज्यादा श्रमिक ऐसे हैं जो अपने घरों से कालीन बुनाई एवं अन्य तरह का कार्य करते हैं। श्रमिको की बड़ी संख्या को देखते हुए भदोही में ईएसआईसी अस्पताल निर्माण आवश्यक है। ईएसआईसी अस्पताल के निर्माण से लाखों श्रमिकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। श्रमिकों को इलाज के लिए ईएसआईसी अस्पताल से बड़ी सहूलियत मिलेगी। लाखों कामगारों का इलाज नि:शुल्क होने से उनकी आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव आयेगा।

(इति)

Re: Construction of roads under Bharat Mala project in Jharkhand

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर) : मैं आपका ध्यान झारखंड राज्य की एक अति आवश्यक सड़क परियोजना की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत एक नया पथ प्रस्तावित है, जो जमशेदपुर शहर को बाइपास करते हुए ओड़ीसा के टांगबिल्ला (NH-49 एवं NH-220 जंक्शन) तक जाएगा। पहला खंड, कांदरवेडा (NH-18) से प्रारंभ होकर गम्हरिया, हेंसल, पातापानी होते हुए टंगबिला तक 111 किमी लंबा है। दूसरा खंड, भिलाई पहाड़ी से पटहेसल तक 28 किमी लंबा है, जिसमें 11 किमी भाग शहरी क्षेत्र से गुजरता है और एलेवेटेड मार्ग का प्रस्ताव है। यह मार्ग न केवल जमशेदपुर एवं चाईबासा शहरों को बाइपास सुविधा देगा, बल्कि टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, रुंगटा स्टील जैसी प्रमुख औद्योगिक इकाइयों, आयडा औद्योगिक क्षेत्र और पूरे कोल्हान क्षेत्र के लिए दक्षिण भारत से सीधा सड़क संपर्क उपलब्ध कराएगा। साथ ही, पारडीह काली मंदिर से होकर पटमदा, काटिन, झिलमिली होते हुए बांकुड़ा तक एक नया मार्ग प्रस्तावित किया गया है, जो जमशेदपुर को दुर्गापुर स्टील सिटी से जोड़ेगा और टाटा स्टील से दुर्गापुर स्टील प्लांट तक माल परिवहन को सुलभ बनाएगा। मैं माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि इन महत्वपूर्ण मार्गों के निर्माण पर शीघ्र निर्णय लें और कार्य प्रारंभ कराएं।

(इति)

Re: Need to provide details of expenditure incurred on treatment of patients under PM Jan Arogya Yojana at the time of discharge from the hospital

श्री जनार्दन मिश्रा (रीवा) : प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्डधारक हर साल 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवा सकता है जिसका पूरा खर्च सरकार उठाती है। ये सुविधा सरकारी एवं प्राइवेट दोनों तरह के अस्पतालों में मिलती है। इसके अन्तर्गत लाभार्थी को अस्पताल में इलाज के दौरान कितना पैसा खर्च हुआ इसका कोई प्रमाण अस्पताल के द्वारा डिसचार्ज होने के बाद लाभार्थी को नहीं दिया जाता है , आपके माध्यम से मेरा आग्रह है कि अस्पताल में भर्ती के दौरान होने वाले सभी खर्च जाँच में कितना खर्च हुआ दवाइयों का कितना हुआ , अन्य मेडिकल उपकरण में कितना लगा आदि का खर्च विवरण अनुसार एक प्रति लाभार्थी मरीज को भी अस्पताल से डिस्चार्ज होने के टाइम उपलब्ध करायी जाए।

(इति)

Re: Need for establishment of a medical college/Super Specialty Hospital in Malkangiri district of Odisha

SHRI BALABHADRA MAJHI (NABARANGPUR): Malkangiri District in my Parliamentary Constituency, Nabarangpur, Odisha is provided with least medical facilities. For critical ailments the people of this District are forced to go to Visakhapatnam in Andhra Pradesh, which is about 300 KM away. Many times the patients are dying en-route to Visakhapatnam. It is therefore requested to sanction one medical college/Super Speciality Hospital for Malkangiri, so that precious lives of this District can be saved at a minimum cost.

(ends)

Re: Need to renew the lease of plots and houses granted to people in Delhi who came as refugees during Partition in 1947

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) :1947 में देश के विभाजन के समय हजारों शरणार्थी दिल्ली आए थे। इन शरणार्थियों को दिल्ली में कई स्थानों पर मकान और प्लॉट देकर बसाया गया था। जिन कॉलोनियों में इन्हें बसाया गया था, उनमें किंग्सवे कैंप (अब जीटीबी नगर) खान मार्केट, मालवीय नगर, निज़ामुद्दीन, लाजपत नगर, कालकाजी, जंगपुरा, राजेंद्र नगर, वेस्ट पटेल नगर और मोती नगर आदि शामिल हैं। सभी शरणार्थियों को प्लॉट और मकान लीज पर दिए गए थे लेकिन अब इन मकानों की लीज की अवधि खत्म हो चुकी है। लीज खत्म होने के कारण वे न तो मकान में कोई रेनोवेशन का काम करा सकते हैं, न उसकी मरम्मत करा सकते हैं, न अपने बच्चों में उसका बंटवारा कर सकते हैं और बेचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इन प्लॉटों और मकानों की लीज की अवधि बढ़ाकर इन हजारों लोगों को तुरंत राहत दी जाए। इसके साथ ही मेरा यह भी अनुरोध है कि इन प्लॉटों और मकानों को फ्रीहोल्ड करने की प्रक्रिया भी तुरंत ही शुरू की जाए ताकि वे उस सम्पत्ति के मालिकाना अधिकार प्राप्त कर सकें जहां उनकी पीढ़ियां 77 सालों से रह रही हैं।

(इति)

Re: Implementation of 'Rural Prosperity and Resilience Programme' in Maharajganj Parliamentary Constituency

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : मैं सरकार का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के एक मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। यह मामला भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किये जाने वाले "ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम " को महराजगंज लोकसभा क्षेत्र, बिहार में जल्द से जल्द शुरू करने के संबंध में है। मेरा संसदीय क्षेत्र महराजगंज, बिहार एक ग्रामीण बाहुल्य एवं कृषि प्रधान क्षेत्र है। हमारे संसदीय क्षेत्र के युवा किसान, ग्रामीण महिलाये, सीमांत और छोटे किसान, ग्रामीण युवा तथा भूमिहीन परिवार के लिए नए रोजगार और व्यवसायों के सृजन में तेजी लाने की अति आवश्यकता है। यह आवयश्कता वित्त मंत्रालय के "ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम "को लागू करके पूर्ण किया जा सकता है क्योंकि इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक अवसर पैदा करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की ओर पलायन को रोका जा सके। अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह इस मामले पर तत्काल ध्यान देते हुए मेरे संसदीय क्षेत्र महराजगंज, बिहार में इसे लागू करने हेतु आवश्यक कारवाई करे।

(इति)

Re: Need to address the problem of pollution of river Sutlej due to untreated sewage and industrial effluents from Punjab

SHRI RAO RAJENDRA SINGH (JAIPUR RURAL): Rajasthan receives its share of Ravi-Beas & Sutlej water from the Harike barrage. The water quality of the river Sutlej is affected due to discharge of untreated/partially treated sewage and industrial effluent from cities and towns of Punjab including Ludhiana, Jalandhar and Phagwara. Multiple surveys carried out by the CPCB, Punjab Pollution Control Board and the Rajasthan Water Resources department indicate high levels of total coliform and fecal coliform in both the Ferozepur and Rajasthan Feeders. Since the problem was first identified through a complaint by the state of Rajasthan to the CPCB, the states have had multiple rounds of communications, to little fruition. Widespread pollution in an important source of drinking water and irrigation has caused several health complications among people such as skin diseases, gastroenteritis, indigestion and loss of eyesight among others. Especially in the districts of Hanumangarh and Sri Ganganagar, regular exposure to contaminated water has propped up a cancer epidemic, taking a significant share of their population within its grasp. Given that there has been significant delay in the redressal to the matter, there is need for urgent government intervention by means of a Parliamentary committee. (ends)

Re: Need to ensure efficient implementation of Jal Jeevan Mission in all parts of the country

SUSHRI PRANITI SUSHILKUMAR SHINDE (SOLAPUR): The Jal Jeevan Mission, though ambitious in scope, faces serious credibility and implementation challenges. The Expenditure Finance Committee's decision to slash the Jal Shakti Ministry's funding demand by 46% raises concerns about flawed financial planning. This is particularly alarming amid allegations of inflated work contracts in several states, pointing to weak accountability and oversight mechanisms. Transparency in tendering, timely cost audits, and independent third-party evaluations remain inadequate. The Government's silence on investigations into these irregularities erodes public trust, as does the lack of a publicly available audit detailing financial discrepancies. With a ₹1.25 lakh crore shortfall, financially weaker states risk stalled progress, deepening regional disparities in tap water access. Further, the Mission's singular focus on tap connections overlooks crucial aspects like water quality, source sustainability, and supply duration. There is limited data on functional service delivery metrics such as hours of daily supply. The credibility gap widens with the JJM dashboard continuing to report outdated coverage figures, even as NSS and rural household data suggest far lower actual penetration. Without updated and verified household data, the Mission's claims risk being seen as inflated. A transparent overhaul is essential to restore faith and ensure equitable water access.

(ends)

Re: Need to exclude crop and education loans from the ambit of credit scores as a criteria to avail loans from Banks

SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR): I wish to draw the attention of the Hon'ble Finance Minister to the rising anxiety caused by the credit scoring system dominated by private agencies like CIBIL, Equifax, Experian, and CRIF High Mark. Recently, a notification mandating CIBIL score checks for Kisan Credit Card (KCC) loans in Tamil Nadu's cooperative societies triggered fear and protests among farmers, later requiring government clarification. This reflects a deeper systemic problem. Farmers who default due to natural calamities are often ineligible for future loans of any kind, undermining the purpose of government-sanctioned loan waivers. Equally unjust is the denial of education loans to deserving students based on their parents' low CIBIL scores — penalizing them for factors beyond their control and reinforcing intergenerational inequality. These credit scores are generated by opaque private algorithms with no audit mechanism or flexibility to consider ground realities like informal incomes, caste/gender-based exclusion, or first-time borrowers. Public banks have little say and borrowers lack grievance redressal. I urge the Government to exclude crop and education loans from credit scores and establish a Public Credit Registry under direct regulatory supervision to ensure fairness, transparency, and inclusive financial access. (ends)

Re: Need to develop and beautify Shri Achaleshwar Mahadev Temple in Gurdaspur Parliamentary Constituency under PRASHAD scheme

श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा (गुरदासपुर) : मैं सरकार का ध्यान मेरे लोकसभा क्षेत्र गुरदासपुर में स्थित,करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र, एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक तीर्थ स्थल की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। गुरदासपुर के बटाला नगर के पास स्थित यह पावन स्थल, श्री अचलेश्वर महादेव मंदिर है, जो भगवान शिव और माता पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र, श्री कार्तिक स्वामी को समर्पित है। यह उत्तर भारत में भगवान कार्तिकेय का एकमात्र मंदिर माना जाता है और इसका संबंध सत्ययुग से है। यहां पर हर साल कार्तिकेय माह की हर नौवीं-दसवीं तिथि को लगने वाले उत्तर भारत के प्रमुख मेले में भारी तादाद में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं और अपनी मनोकामना के लिए पूजा करते हैं। इसकी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता को देखते हुए, इसमें पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यदि इस स्थल का विकास किया जाए तो यह क्षेत्र एक प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में उभर सकता है। अतः मेरा केंद्र सरकार और माननीय पर्यटन मंत्री जी से अनुरोध है कि इस पावन तीर्थ के महत्व को देखते हुए, इसके समग्र विकास और सौन्दर्यीकरण के लिए इसे मंत्रालय की 'प्रसाद' योजना के अंतर्गत शामिल किया जाए, ताकि देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

(इति)

Re: Water and air pollution in Bhandara - Gondiya Parliamentary Constituency

डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले (भन्डारा-गोंदिया) : मैं सरकार और पर्यावरण मंत्रालय का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र भंडारा-गोंदिया में जल और वायु प्रदूषण की बढ़ती गंभीरता की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। नाग नदी, जो पहले शुद्ध जल का स्रोत थी, अब औद्योगिक अपशिष्ट और सीवेज से अत्यधिक प्रदूषित हो चुकी है, जिससे गोसीखुर्द बैकवॉटर क्षेत्र के सैकड़ों गांवों में जलजनित रोग, त्वचा संक्रमण और श्वसन संबंधी समस्याएँ बढ़ गई हैं। तिरोड़ा मे स्थित एक निजी Thermal Power Plant से निकलने वाली फ्लाई ऐश और अशोधित गर्म जल के कारण क्षेत्र की भूमि, जलस्रोत और जनस्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। CSE की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार यह देश के सर्वाधिक प्रदूषण फैलाने वाले संयंत्रों में है, जिसका फ्लाई ऐश उपयोग मात्र 55% है, जबकि मानक 100% है। इसके अतिरिक्त, भंडारा-गोंदिया जैसे औद्योगिक क्षेत्र में एक भी रीयल-टाइम AQMS केंद्र नहीं है। NGT के निर्देशों के बावजूद सीवेज ट्रीटमेंट पर ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। अतः मैं मांग करता हूँ कि तिरोड़ा संयंत्र का स्वतंत्र पर्यावरणीय ऑडिट कराया जाए, AQMS केंद्र स्थापित हों, जल प्रदूषण पर वैज्ञानिक सर्वे हो और MPCB नियमित सार्वजनिक रिपोर्ट जारी करें।

(इति)

Re: Need to ensure fair compensation on agricultural land proposed to be acquired from farmers in Punjab

DR. AMAR SINGH (FATEHGARH SAHIB): Punjab Government has recently announced that it plans to acquire 65000 acres of prime agricultural land near major cities under its land pooling policy. However the State Government has decided to do so without paying any monetary compensation to the affected farmers. The land Acquisition Act was passed in 2013 with the aim to ensure that consent and fair compensation would always be part of all future state led efforts to take land from private land holders especially farmers. However in Punjab's case the Government has proposed a scheme where farmers will get back 1200 yards for every acre of their land acquired. This at the face of it violates the spirit of natural justice. State action to take away private property has to be followed with full and fair monetary compensation. The unfairness of the proposed state scheme is accentuated by the fact that the land being acquired especially outside Ludhiana is worth Rs. 3-4 Cr per acre. To take away such valuable land from a farmer without financial compensation needs to be stopped. If carried out it will set an unfortunate precedent and defeat the purpose of having an all encompassing law like the land acquisition act.

(ends)

Re: Need for establishment of AIIMS in Raichur district, Karnataka

SHRI G. KUMAR NAIK (RAICHUR): I wish to draw attention of this House to an indefinite protest of over 1,000 days under the aegis of Raichur AIIMS Horata Samiti. People's representatives, irrespective of their party affiliations have supported it. And what they seek is a basic Constitutional right. Raichur is an aspirational district and part of Kalyan Karnataka covered under Article 371J of the Constitution – identified as extremely backward. Raichur continues to bear a high number of infectious diseases and malnourished women and children. People spend large percentage of their income on medical treatment - often travelling long distances for care that should be accessible locally. Central Government has granted sanction for AIIMS in every major state. However, Karnataka is the only large state which is yet to be sanctioned. Hon'ble Chief Minister of Karnataka has requested Hon'ble Prime Minister as well as Hon'ble Minister of Health & family Welfare on numerous occasions by means of letters and personal meetings. As the representative of Karnataka's only two aspirational districts – Raichur and Yadgir – I have also raised this issue on the floor of the House earlier. And today, once again, I urge the Central Government to sanction AIIMS for Karnataka at Raichur at the earliest. (ends)

Re: Issues pertaining to Opium cultivators in Aonla Parliamentary Constituency

श्री नीरज मौर्य (आंवला) : मेरे निर्वाचन क्षेत्र आमला लोकसभा के अंतर्गत किसानों को अफीम की खेती के लाइसेंस दिए गए थे। जनपद बरेली में लगभग 4000 किसानों के पास उक्त खेती करने के लाइसेंस थे परंतु इस वर्ष किसानों के लाइसेंस निर्गत नहीं हुए जिसके कारण सभी किसान भाइयों को बहुत असुविधा हो रही है। सभी बहुत परेशान हैं।

अतः मैं चाहूंगा कि किसानों की उक्त समस्या के समाधान हेतु संबंधित अधिकारीयों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

(इति)

Re: Merger of Government Schools in Uttar Pradesh

श्री आदित्य यादव (बदायूं) : उ०प्र० में परिषदीय विद्यालयों को मर्जर के नाम पर बंद किया जा रहा है। वैसे भी परिषदीय विद्यालयों में गरीब तबके के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने जाते है। वह भी सरकार द्वारा अब यह कह कर बंद किया जा रहा है कि जिस परिषदीय विद्यालय में 50 बच्चे से कम होंगे उस विद्यालय को किसी अन्य विद्यालय में मर्जर किया जाएगा। मैं यह भी अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा जिलाधिकारी से मर्जर किये जाने स्कूलों की सूचना चाही गयी किन्तु सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई। जो भी परिषदीय विद्यालय बंद करके उसे किसी अन्य विद्यालय में मर्जर किया जा रहा है उसकी दूरी अधिक होने के कारण छोटे-छोटे बच्चे विद्यालय नहीं पहुंच पाएँगे तथा शिक्षा से वंचित रह जाऐंगे। जहाँ सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, यह कैसा साथ तथा विकास है कि उ०प्र० में गरीब के बच्चों को शिक्षा से वंचित कर दिया जाए। आज हम विश्व गुरू बनने कि बात कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ हम गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित कर रहे हैं। मैं जापान की बात बताता हूँ जहाँ जापान के होकाईदो द्वीप के कामी शिराताकि गाँव में एक बच्ची को स्कूल ले जाने तथा वापस लाने के लिए एक ट्रेन चलाई जाती है यह ट्रेन विशेष रूप से उस बच्ची के लिए है और उसके अलावा कोई और इस पर सवार नहीं होता हैं। ट्रेन का समय भी बच्ची के स्कूल के समय के अनुसार समायोजित किया गया है। प्राइमरी स्कूलो को मर्जर किये जाने से वहाँ के शिक्षक, शिक्षामित्र तथा रसोइयें बेरोजगार हो जाएँगे। मै केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह इस मामले को संज्ञान मे लेते हुए उ०प्र० सरकार को दिशानिर्देशित करते हुए परिषदीय स्कूलों में बच्चों की कमी के नाम पर मर्जर करने से रोके जाने की कृपा करें।

(इति)

Re: Need to provide stoppage to Mangalore - Coimbatore Intercity Express and Ernakulam-Karaikal Express at Podanur Junction

SHRI ESWARASAMY K. (POLLACHI): Built by the British in 1861, Podanur railway station is the third railway station in South India. It houses the Railway Signal and Telecommunication Factory, Railway Hospital, Railway School, Railway Signal Training Centre, Railway Engineering Office and several railway offices belonging to the Railways. Podanur railway station with five platforms is a major junction railway station. Similarly, the work of converting the metre gauge line from Podanur to Dindigul to broad gauge was started in 2008 and completed in 2017. Southern Railway said that once this line is converted to broad gauge, the trains operated in the metre gauge will resume, but even after all these years, the trains stopped have not been operated. Trains should be operated in areas Tirunelveli, and Mangalore - Coimbatore Intercity Express (22609 / 22610), Ernakulam - Karaikal (16187 / 16188) Express should be stopped at Podanur Junction. Similarly, the people of Coimbatore have been continuously demanding that the Chennai Central to Palakkad train number (22651/22652) stop at Madathukulam in the morning and evening. I request the Railway Ministry to consider the demands of the public and start the above trains at the earliest.

(ends)

Re: Need to promote production of Jaggery (Gur) in Valmikinagar Parliamentary Constituency

श्री सुनील कुमार (वाल्मीकि नगर) : सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र वाल्मीकिनगर की और आकृष्ट करते हुए कहना है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में कई चीनी मील है इसके करण यहाँ पर गन्ना किसानों की संख्या सर्वाधिक है। किन्तु कुछ वर्षों से चीनी मिलों के प्रबंधन एवं व्यवस्था में विफलता के कारण किसान गन्ना फसल का उत्पादन कम करते जा रहे हैं।क्योकि चीनी मिल वाले गन्ना बाहर के जिले से पहले मंगाते हैं एंव लोकल किसानों का गन्ना बाद में लेते हैं जिस कारण किसानो में अब इस फसल का उत्पादन करने में रूचि नही रह गयी है । अतः मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि पूर्व की तरह गन्ना फसल के प्रति किसानों के आकर्षण को बनाए रखने के लिए लघु एवं कुटीर उद्योग के रूप में गुड उत्पादन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इससे एक तरफ जहां गन्ना किसान का उत्साहवर्धन होगा वहीं दूसरी तरफ रोजगार के अवसर में भारी वृद्धि होगी।

(इति)

Re: Regarding problems being faced by people due to Privatization of hospitals in Mumbai, Maharashtra

SHRI SANJAY DINA PATIL (MUMBAI NORTH-EAST): I wish to raise a serious concern about the growing trend of privatizing public hospitals in Mumbai, particularly under the PPP model. I would like to share the example of M.T. Agarwal Hospital in Mulund. Despite public funds used for its redevelopment, it remains shut, and there are plans to hand it over to private operators. The same is happening with hospitals in Bandra, Vikhroli, Borivali, Govandi and Mankhurd. These hospitals serve lakhs of people, especially those from slum areas who rely solely on Government healthcare. If these hospitals are privatized, most services will be out of reach for the poor. In areas like Govandi and Mankhurd citizens are demanding affordable and accessible healthcare, not commercialization. Past PPP attempts have led to staff mismanagement and poor services. I demand that the Government stop further privatization, ensure all redeveloped hospitals remain fully public, and bring in a clear, transparent health policy that protects the needs of the poor.

(ends)

Re: Need to provide fair pension to Senior Citizens by revising the pension calculation formula under Employees' Pension Scheme (EPS).

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): wish to draw the attention of the House to the faults in EPS-95 scheme. In November 2022, the Supreme Court permitted eligible employees who hadn't chosen the EPFO pension to opt for EPS-95. On 30 November 2024, the EPFO stated that it had issued pension payment orders to only 16,282 out of the 17,48,775 subscribers of the scheme, and rejected 2,60,352 applications. There has been continuous growth in the EPS corpus, yet few pensioners appear to have reaped the benefits of this growth. In 2022-23, only 27,000 pensioners received over Rs 5,000 per month, while a majority got Rs 1,000 or less. The average pension was Rs 1,506. These figures remain low due to the Government's failure to raise the minimum pension for EPS beneficiaries or link it to inflation. To ensure the social security of senior citizens, the Government should revise the pension calculation formula. Pensions should remain intact if a pensioner dies before their spouse receives benefits. Applications should be processed transparently, with guidelines to avert arbitrary rejections. The pension index needs updating, and the minimum pension should be revised. I urge the Government to ensure that senior citizens receive a fair pension, their hard-earned right.

(ends)

Re: Need to restore the route of Nanded-Mumbai Vande Bharat Express from Chhatrapati Sambhajinagar to Mumbai in Maharashtra

SHRI SANDIPANRAO ASARAM BHUMARE (AURANGABAD): The route of Vande Bharat Express train (20705) currently running from Nanded to Mumbai should be reversed and it should be from Ch. Sambhajinagar to Mumbai. Sambhajinagar is the gateway to Marathwada and is an important city in historical, tourist, industrial and educational terms. There are many world-class tourist destinations here like Verul-Ajanta Caves, Daulatabad Fort. Also, this city is an important industrial and educational Center. Earlier, Vande Bharat train (20705) service was started from Sambhajinagar, which provided fast and comfortable travel to the passengers. Thousands of passengers used to travel by train. These districts were provided with the facility of reaching Mumbai before noon by this train and completing various important tasks on time. This train gave a big boost to the local economy and tourism. This train was the only fast, convenient and well-equipped train service that met the daily and business needs of the passengers in this area. But a few days back, suddenly this Vande Bharat Express train route was changed to Nanded-Mumbai. Therefore, the passengers in my area of work as well as the businessmen, students, tourists and the general public in the surrounding areas are facing a lot of inconvenience. I humbly request the Honourable Minister of Railways to restore the route of the Nanded-Mumbai Vande Bharat train to Ch. Sambhajinagar-Mumbai. (ends)

Re: Need to confer Bharat Ratna on Jagdev Prasad who laid down his life fighting for the rights of depressed classes

श्री अभय कुमार सिन्हा (औरंगाबाद) : अमर शहीद जगदेव प्रसाद भारत के उन अग्रणी समाजवादी नेताओं में से एक थे, जिन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन सामाजिक न्याय, बराबरी, और शोषित-वंचित समुदायों के अधिकारों के लिए समर्पित कर दिया। उन्हें ‘भारत का लेनिन’ कहा गया क्योंकि उन्होंने जातिवादी और सामंती व्यवस्था के खिलाफ खुलकर संघर्ष किया। 9 सितम्बर 1974 को कुर्था (अरवल, बिहार) में वे पुलिस की गोली का शिकार होकर शहीद हो गए। उनका बलिदान आज भी बिहार और देशभर के पिछड़े, दलित, आदिवासी, वंचित वर्गों के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो उन व्यक्तित्वों को दिया जाता है जिन्होंने भारत के निर्माण, चेतना और मूल्यों को गहराई से प्रभावित किया हो। जगदेव बाबू का जीवन और बलिदान न केवल बिहार बल्कि पूरे भारत के लिए सामाजिक क्रांति का प्रतीक रहा है। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करना वंचित तबकों को न्याय और गौरव का एहसास कराना होगा। अतः मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूँ कि अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी को मरणोपरांत "भारत रत्न" से सम्मानित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए।

(इति)

Re: Need to set up posts for checking of vehicles at specific points on National Highways

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी का ध्यान राष्ट्रीय राजमार्गो पर परिवहन विभाग के उड़न दस्तों द्वारा चैकिंग के नाम पर अचानक वाहनों को रुकवाने से हो रहे हादसों के संबंध में आकर्षित करते हुए बताना चाहता हूँ। राज्यों में खास तौर पर मेरे राजस्थान में परिवहन विभाग सड़को पर जिस तरह RTO उड़न दस्ते वाहन चालकों को, खास तौर पर ट्रकों को चैकिंग के नाम पर परेशान करते हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। यह उड़न दस्ते जहां मर्जी हो वहां वाहनों को रोक देते हैं और आकस्मिक रूप से किसी भी वाहन को रुकवाने पर दुर्घटना होने की संभावना ज्यादा होती है और सैकड़ों दुर्घटनाएं हो भी चुकी है। रोड़ सेफ्टी के अनुसार किसी भी वाहन को आकस्मिक रोकना दुर्घटना को निमंत्रण देना है। केवल राजस्थान में परिवहन विभाग के 50 से अधिक गार्डों /अधिकारियों की मृत्यु भी ऐसे अचानक वाहनों को रुकवाने से हुई है। इसलिए वाहनों की चैकिंग हेतु विशिष्ठ स्थानों पर ही चैक पोस्ट बने, इसके लिए मंत्री जी देश के तमाम राज्यों के परिवहन मंत्रियो के साथ बैठक करें और विशिष्ठ एसओपी बनाये ताकि इस कारण से सड़क हादसे नहीं हो। (इति)

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, बहुत महत्वपूर्ण बिल आपके सामने है। मणिपुर जीएसटी संशोधन बिल लगा हुआ है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया आप अपने कर्त्तव्य का पालन करें।

… (व्यवधान)

1402 बजे

(इस समय श्री अभय कुमार सिन्हा, श्री राहुल कस्वां, श्रीमती शताब्दी राय बनर्जी, श्री राम शिरोमणि वर्मा और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, आखिर आप किसकी माँग कर रहे हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : यह एसआईआर का विषय चुनाव आयोग के परव्यू में है। इसकी अकाउंटिबिलिटी चुनाव आयोग की है और चुनाव आयोग अभी उस प्रोसेस में है। उस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अभी प्रोसेस चल रहा है।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Shri Manickam Tagore, you are quite a senior Member and you are quite aware.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : आप किस पर चर्चा करेंगे? जब अभी एसआईआर चल रहा है, इलेक्शन कमीशन डोर टू डोर वेरिफाई कर रहा है। उस पर आपत्ति आ रही है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : सर, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Mr. Tagore, it is already *sub judice in* the Supreme Court. You should wait…

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा अपनी सीटों पर जाएं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : हैबी ईडन साहब, आप अपनी सीट पर जाएं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : राहुल कास्वां जी, आप अपनी सीट पर जाएं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सब लोग अपनी सीटों पर जाएं। हम आपको अवसर देंगे। सबको अवसर देंगे।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : मैं आप सबको, आपकी बात को कहने का अवसर दूंगा।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : जिस मामले को आप उठाना चाहते हैं, एसआईआर का मामला चुनाव आयोग के परव्यू में है और सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इसलिए इस पर चर्चा नहीं हो सकती है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आज का जो ऐजेंडा है, अब आप उस पर चर्चा करेंगे।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि आज का जो एजेंडा है – आइटम नंबर्स – 20ए से 20डी, यह बहुत महत्वपूर्ण है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : यह जो मणिपुर गुड्स एण्ड सर्विसेज़ टैक्स (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस, 2025 है, जिसका बिल ले कर आ रहे हैं।

… (व्यवधान)

मणिपुर माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प
और
मणिपुर माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक

1404 बजे

माननीय सभापति : अब आइटम नंबर्स-20ए से 20बी विचार के लिए एक साथ लिए जाएंगे।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप इस महत्वपूर्ण विषय पर निरनुमोदन संकल्प मूव करेंगे और उस पर कुछ कहना चाहेंगे?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : एडवोकेट डीन कुरियाकोस जी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रो. सौगत राय जी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

वित्त मंत्री; तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) : सर, आइटम 20ए के बाद 20बी को मूव करना है।… (व्यवधान) Can I do that? … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Yes.

… (*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN : Sir, I beg to move:

> "That the Bill further to amend the Manipur Goods and Services Tax Act, 2017, be taken into consideration."

माननीय सभापति : आप कुछ कहना चाहती हैं? Do you want to say something about the Bill?

… (*Interruptions*)

(1405/PS/YSH)

श्रीमती निर्मला सीतारमण : सर, यह जीएसटी का विषय है। Before that, we had an Ordinance. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON (SHRI JAGDAMBIKA PAL): Do you want to say something on the Manipur Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2025?

… (*Interruptions*)

1405 hours

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Yes, Sir.

I will just highlight the importance of this Bill. There was a GST Council's decision because of which all States had to change their respective State Acts, which was done by State Acts by all States. But because Manipur was under disturbance, they could not do it through the State Legislature. Therefore, they brought in an Ordinance. That Ordinance's time expired and we could not come to the House because the State Assembly was still on. … (*Interruptions*)

Subsequently, we brought one more Ordinance -- after the Ordinance was passed -- by which time, you had the State coming under the President's Rule. Therefore, that Ordinance will have to become a law. So, we are amending the State GST Act by introducing this Bill to replace the Ordinance. So, it is a constitutional necessity. It has to be taken up now. If it does not pass through now, the State will have difficulty in implementing the GST amendments, which have long been approved by the Council, and their revenue will get affected because they would not have the authority to charge on certain items on which the GST Council has already passed, all States have also passed, because they were able to amend their Acts. … (*Interruptions*)

So, I would think that it is very important constitutionally to serve that State to have its GST collection enabled. The Ordinance be converted into a Bill and the House should pass it. Thank you. (ends)

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, कृपया आप एक संवैधानिक बाध्यता को समझिए। माननीय मंत्री जी ने इस बिल को प्रस्तुत करते समय इस बात का उल्लेख किया है कि जो मणिपुर की परिस्थितियां हैं और जीएसटी काउंसिल में जो विषय आया है, वह राज्य का विषय है। उसकी संघीय ढाँचे में एक संवैधानिक बाध्यता है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने इस बिल को रखा है और उन्होंने इस पर कहा है कि यह बिल पास करना आवश्यक है, नहीं तो कठिनाइयां उत्पन्न हो जाएंगी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : ऐसी तमाम वस्तुएं, जिनको जीएसटी में लाने के लिए यहां परस्पर सहमति से निश्चय किया गया है। अगर आप उस कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग पर, विधेयक पर विचार करना चाहते हैं तो मैं आपको बोलने का मौका दूंगा।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ। क्या आप इस सदन में पहले दिन से शोर करने के लिए आए हैं? क्या आप इस सदन में केवल हंगामा करेंगे?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, आप पहले अपनी-अपनी सीट्स पर जाइए, तभी मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? श्यामकुमार बर्वे जी, आखिर आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस विधेयक पर चर्चा करें। शताब्दी राय जी, क्या आप इस विधेयक पर चर्चा नहीं करेंगी?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। मैं आप सभी को समय दूंगा। गौरव जी, मैं आपको समय दे सकता हूँ, लेकिन आप इनको वेल में से जाने के लिए कहिए। कृपया, आप इन्हें कहिए कि अगर ये वेल से जाएंगे तो मैं आपको अवसर दूंगा।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : जय प्रकाश जी, चन्नी साहब, सैलजा जी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपने सदस्यों को वापस जाने के लिए कहिए। क्या यह सदन का आचरण है? आपको पूरा देश देख रहा है। यहां पर उपनेता खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी के आपके उपनेता खड़े हैं। आपके उपनेता खड़े हैं और आप वेल में है। आप उनका लिहाज कीजिए। आप कहां पर हैं? यहां पर उपनेता खड़े हैं और आप लोग वेल में हैं। क्या यह सम्मान है? आपको आपके नेता के प्रति भी सम्मान नहीं है?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, आप अपने नेता के प्रति सम्मान रखिए। आपके नेता कुछ कहना चाहते हैं। बर्वे साहब, क्या आपको अपने नेता के प्रति सम्मान नहीं है? आपके उपनेता कुछ कहना चाहते हैं इसलिए आप सदन को सुचारू रूप से चलने दीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि मणिपुर माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का और सशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

'कि खंड 2 से 38 विधेयक का अंग बनें।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 38 विधेयक में जोड़ दिए गए।

(1410/STS/SNL).

… (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री जगदम्बिका पाल) : मैं आपसे कह रहा हूं कि आप विधेयक पर खंडवार चर्चा करें। आप खंडवार चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हैं। आप केवल नहीं-नहीं कह रहे हैं। यह सदन की परंपरा है, सदन की मर्यादा है कि किसी विधेयक पर अगर आप मतदान कर रहे हैं और उस विधेयक पर चेयर आपको अवसर के साथ अनुमति दे रही है कि आप उस विधेयक पर चर्चा करें।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: बैन्नी बेहनन साहब आप सीनियर मेंबर हैं, आप इन्हें समझाइए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

… (व्यवधान)

मणिपुर बजट- सामान्य चर्चा
और
अनुदानों की मांगें- मणिपुर

1413 बजे

माननीय सभापति: आइटम नंबर 20 सी और डी एक साथ लिये जायेंगे।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि अनुदानों की मांगों की सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 50 के सामने दर्शाए गए मान शीर्षों के सम्बन्ध में, 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान संदाय के क्रम में होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु आवश्यक राशियों की पूर्ती के लिए अनुदानों की मांगों की सूची के स्तम्भ 3 में दर्शायी गयी राजस्व लेखा और पूँजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बंधित राशियां, मणिपुर राज्य की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को प्रदान की जाए। "

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: एक बार मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं। क्या आप मणिपुर बजट पर आप चर्चा करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी, क्या आप मणिपुर बजट पर कुछ कहना चाहती हैं?

… (व्यवधान)

1414 बजे

वित्त मंत्री; तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) : सर, राष्ट्रपति शासन में आने के बाद मणिपुर के बजट में केन्द्र सरकार द्वारा इस वर्ष के लिए पूरा बजट पेश किया जा रहा है और डिस्कशन्स भी हो रहे हैं। … (व्यवधान) इससे पहले मणिपुर के लिए वोट ऑन अकाउंट हुआ, मगर इस वर्ष के लिए मणिपुर के लिए पूरा बजट हम अब डिस्कशन में ले रहे हैं। इसलिए मैं उसके दो-तीन मुख्य बिंदु रखना चाहती हूं।

पहला, एडिशनल बजटरी आउटलेट्स, हम और अतिरिक्त पैसा मणिपुर के लिए डाल रहे हैं। यह मणिपुर के लिए आवश्यक है। यह मणिपुर के कानून-व्यवस्था की बेहतरी और वहां के डेवलपमेंट के लिए यह पैसा जा रहा है। … (व्यवधान)

माननीय सभापति: कृपया आप लोग सुनें। माननीय मंत्री जी मणिपुर के बजट के लिए सरकार के क्या प्रस्ताव हैं, उस पर विचार कर रही हैं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: औजला साहब, राहुल साहब, मैं आप सब से कह रहा हूं, आप लोग कृपया सुनिए। आपको अपने नेता का सम्मान नहीं है। आपको अगर अपने नेता का सम्मान है, तो कृपया वेल खाली कर दें, मैं आपको बोलने का अवसर दे दूंगा। इस तरह से सदन की कार्यवाही नहीं होगी कि आप सदन के वेल में भी रहें और आपके उप नेता गौरव गोगोई जी खडे रहें।

… (व्यवधान)

श्रीमती निर्मला सीतारमण : सर, मणिपुर के ऊपर विपक्ष के लोग कभी भी कुछ-न-कुछ विषय उठाते रहते हैं, यह उनका हक है। मगर जब सरकार के द्वारा बजट पेश किया जा रहा है, मणिपुर के लिए पैसा दे रहे हैं, मणिपुर के डेवलपमेंट के लिए सोच-विचार करके अच्छा कदम उठा रहे हैं, तो इस बात को सुनने की उनकी क्षमता नहीं है और न ही करेज है। … (व्यवधान) एडिशनल अलोकेशन मैंने आपके सामने रखा है। … (व्यवधान) उसमें दो हजार आठ सौ करोड़ रुपये मणिपुर के लिए इस बजट में एडिशनल अलोकेशन के नाम पर केन्द्र सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी की एडवाइस में हम मणिपुर के लिए दे रहे हैं। उसमें 1667 करोड़ रुपये उनके कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जाएगा, जिससे मणिपुर में एसेट क्रिऐशन होगा।

(1415/MM/SMN)

1231 करोड़ रुपये रेवेन्यू हेड में जा रहे हैं। … (व्यवधान) मैं उसका विवरण यहां प्रस्तुत करना चाहती हूं। जिससे इसका महत्व हम समझ पाएंगे। … (व्यवधान)

सर, इंटरनली डिसप्लेस्ड पर्सन्स मणिपुर में कैम्प्स में रह रहे हैं। उनको सपोर्ट करने और उनके पुनर्वास के लिए हमने 523 करोड़ रुपये रखे हैं। … (व्यवधान) सिक्योरिटी के लिए 542 करोड़ रुपये दे रहे हैं। … (व्यवधान) सेन्ट्रल आर्म्ड फोर्सेस के डिप्लोयमेंट के लिए 500 करोड़ रुपये भी दे रहे हैं। … (व्यवधान) लॉन्ग टर्म पब्लिक फाइनेंस के लिए दे रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है।… (व्यवधान) मणिपुर के लॉन्ग स्टेंडिंग लोन्स हाई इंटरेस्ट रेट पर हैं। उन हाई इंटरेस्ट लोन्स को क्लीयर करने के लिए 633 करोड़ रुपये हम मणिपुर को दे रहे हैं।… (व्यवधान) प्री-पेमेंट करके हम हाई इंटरेस्ट लोन्स को क्लीयर कर रहे हैं। इसके अलावा स्पेशल असिस्टेंस स्टेट्स को देते हैं, वह 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री होता है ताकि स्टेट अपने केपिटल एक्सपेंडिचर करवा पाएं। उसके लिए 700 करोड़ रुपये मणिपुर को दे रहे हैं।… (व्यवधान) इसलिए इस बजट में रेवेन्यू रिसीट्स भी मैं बताना चाहती हूं। 21439 करोड़ रुपये रेवेन्यू रिसीट्स है। … (व्यवधान) This is 21 per cent lower than the Vote on Account figures that were presented in March, 2025. फिर भी हम केन्द्र सरकार के द्वारा सपोर्ट करके उनको आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं।… (व्यवधान) मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि आप इस बिल को पारित करें।… (व्यवधान)

(इति)

माननीय सभापति (श्री जगदम्बिका पाल) : अब, मैं वर्ष 2025-26 के लिए मणिपुर राज्य से संबंधित अनुदानों की मांगों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि अनुदानों की मांगों की सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 50 के सामने दर्शाए गए मान शीर्षों के सम्बन्ध में, 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान संदाय के क्रम में होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु आवश्यक राशियों की पूर्ती के लिए अनुदानों की मांगों की सूची के स्तम्भ 3 में दर्शायी गयी राजस्व लेखा और पूँजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बंधित राशियां, मणिपुर राज्य की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

… (व्यवधान)

MANIPUR APPROPRIATION (NO.2) BILL

1418 बजे

HON. CHAIRPERSON: Now, item No. 20E.

माननीय वित्त मंत्री जी।

… (व्यवधान)

वित्त मंत्री; तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) : सर, इंट्रोड्यूस करने से पहले आपकी इंडलजेंस चाहती हूं। मणिपुर के लिए घड़ियाली आंसू बहाने वाली ओपोजिशन पार्टी आज उनको पैसा देने के समय में चर्चा से इंकार कर रही है। … (व्यवधान) यह शेम है। … (व्यवधान) बिलकुल शेम है। मणिपुर के हित में जो पैसा जा रहा है, ये उसके खिलाफ वोट कर रहे हैं।… (व्यवधान) यह मणिपुर की जनता को समझना चाहिए। … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: You should have patience to hear at least what the Finance Minister is saying. She is presenting Appropriation Bill.

… (*Interruptions*)

1419 hours

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I rise to move for leave to introduce a Bill to authorize payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Manipur for the services of the financial year 2025-26. … (*Interruptions*)

(1420/MK/RP)

माननीय सभापति (श्री जगदम्बिका पाल) : प्रश्न यह है:

> "कि वित्तीय वर्ष 2025-26 की सेवाओं के लिए मणिपुर राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I introduce the Bill.

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: आइटम नम्बर-20एफ, माननीय वित्त मंत्री जी।

THE MINISTER OF FINANCE; AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I beg to move:

> "That the Bill to authorize payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Manipur for the services of the financial year 2025-26, be taken into consideration."

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2025-26 की सेवाओं के लिए मणिपुर राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी, प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I seek your indulgence. … (*Interruptions*) The Opposition, which was all the way talking on Manipur, is denying money from going to Manipur. … (*Interruptions*) ये बजट के खिलाफ बोलने वाले ऑपोजिशन हैं। … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Only the speech of the Finance Minister will go on record.

… (*Interruptions*) *… (Not recorded)*

माननीय सभापति: केवल माननीय मंत्री जी का वक्तव्य रिकॉर्ड पर जाएगा। किसी और माननीय सदस्य का वक्तव्य रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा।

… (व्यवधान) *… (Not recorded)*

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed".

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपनी-अपनी सीट पर वापस जाएं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: क्या आप कोई बात कहना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप लोक सभा के वेल में भी रहेंगे और विधेयक पर चर्चा भी नहीं करेंगे। इस तरह लोक सभा को बाधित करेंगे और सत्र की कार्यवाही को बाधित करेंगे। ऐसे सदन नहीं चलेगा।

… (व्यवधान)

(1425/ALK/RTU)

माननीय सभापति : अगर आप लोक सभा की कार्यवाही, सदन को नियमित और सुचारु रूप से चलाना चाहते हैं तो औजला साहब बैठिए, बर्वे साहब बैठिए। बैन्नी बेहनन साहब, चन्नी साहब, राहुल जी, जय प्रकाश जी आप लोग बैठ जाइए और सबको बैठाइए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 08 अगस्त, 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1426 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 08 अगस्त 2025 / 17 श्रावण, 1947 (शक)
के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।